



RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ... सच

माही की गूँज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

अगर अमीर बनना ही तुम्हारा मात्र एक लक्ष्य है, तो तुम इसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे।
जॉन डी रॉकफेलर

वर्ष-04, अंक - 10 (साप्ताहिक)

खवासा, गुरुवार 09 दिसम्बर 2021

पृष्ठ-8, मूल्य-5 रुपए

शिवराज के राज में सब कुछ मुमकिन...!

मांग भरवाकर व मुंह में चांदी के चम्मच ठुसवाकर जिला प्रशासन ने एक ही दिनांक व एक ही पत्र क्रमांक पर आपत्ती व अनापत्ति के दो प्रमाण-पत्र किए जारी

कलेक्टर सोमेश मिश्रा जिले में भ्रष्टाचार के गढ़ रहे गए-आयाम, नतीजन डीजल माफियाओं की भी बल्ले-बल्ले

माही की गूँज टीम के साथ संजय मटेवरा की रिपोर्ट

शिवराज सरकार में सब कुछ मुमकिन है... कि बात कही जाती है। जी, हाँ यह बात सही ही साबित हो रही है कि, शिवराज सरकार में प्रशासन निरंकुश होकर जिले में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के नए-नए आयाम गढ़े जा रहे हैं...

वही शिवराज सरकार कहती है माफियाओं को जड़ मूल से खत्म किया जाएगा, तो प्रशासन व्यवस्था में कोई भी अनियमितताओं पाई जाती है तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। पर यह बस सिर्फ लोक लुभावन ही साबित होकर शिवराज सरकार में अनियमितताएँ व भ्रष्टाचार के ऐसे-ऐसे आयाम गढ़े जा रहे हैं जो शायद शिवराज सरकार में ही प्रशासनिक पकड़ नहीं होने के कारण सब कुछ मुमकिन हो रहा है...!

बात जिले में सिर्फ डीजल माफियाओं के मुद्दे की ही करे तो शिवराज सरकार के उनके अधीनस्थ व निरंकुश प्रशासन बायोडीजल के नाम पर अपने मुँह मांगी मांग का सिंदूर भरवाकर अपने मुँह में चांदी की चम्मच ठुसवाकर खुलेआम नकली डीजल बिकवा रहा है। वही कलेक्टर सोमेश मिश्रा के रहमो-करम से प्रशासनिक खानापूती ऐसी हो रही है कि, मानो 'हम ही राजा है और हम ही प्रजा' यानी शिवराज सरकार में कुछ भी करे ना कोई देखने वाला न कुछ करने वाला। नतीजन शिवराज सरकार में सब कुछ मुमकिन की बात को चरितार्थ कर डीजल माफियाओं को बल्ले-बल्ले हो रही है और प्रशासनिक आला अधिकार के पैर से लेकर सिर तक भ्रष्टाचार रूपी चासनी में डुबकी लगा रहे हैं।

माही की गूँज में सतत बायोडीजल के नाम से बेच रहे नकली डीजल व डीजल माफियाओं तथा प्रशासनिक गठजोड़ को प्रकाशित किया, जिससे प्रशासनिक हड़कंप मचने के साथ माफिया भी बौखलाए हुए हैं।

हमारे समाचारों के साथ ही एक के बाद एक बाते सामने निकल कर आ रही है, जिसमें जिला प्रशासन के आला अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक भी माफियाओं को संरक्षण देकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं चांदी की चम्मच ठुसवाकर अपनी मुँह मांगी मांग का सिंदूर भरवा कर सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग ऐसे कर रहे हैं जैसे अपने बाप की बपौती हो। जिसका एक



उदाहरण हमारे सामने ऐसा आया है कि, जिसमें संबंधित अधिकारी से लेकर कलेक्टर तक बड़ी कार्रवाई हो सकते हैं। लेकिन हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि, भ्रष्ट तंत्र में अधिकारी अपनी हर निचले स्तर की अनियमितताएँ उजागर होने के बाद भी अपने आप को सही साबित करने के लिए बेतुके जवाब के साथ ही ये सरकार के सामने सही साबित हो जाते हैं।

मामला कुंदनपुर से सटे राणापुर मार्ग पर ग्राम सरुडिया में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल-डीजल पंप की मंजूरी का है। जिसमें इंडियन ऑयल कार्पोरेशन की विज्ञप्ति के बाद काकरादरा ग्राम के गौरव पिता उदेसिंह नायक के नाम से पेट्रोल पंप अलार्टमेंट हुआ जिसमें प्रथम दृष्टिया ही कलेक्टर कार्यालय की एनओसी में ही ऐसा झोलमाल किया की सारे नियम कायदों को ताक में रख सरकार से बेखोजिजला प्रशासन ने आपत्ती प्रमाण-पत्र सर्वप्रथम जारी किया और बाद में उसी पत्र क्रमांक व उसी दिनांक पर सांठगाँठ के साथ अभी प्रमाणित (एनओसी) पत्र जारी कर दिया।

पत्र क्रमांक 1106/लीडर-1/2020 ज्ञाबुआ 6 अक्टूबर 2020 एवं आवेदक गौरव नायक के आवेदन 11 नवंबर 2020 के संदर्भ में कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ज्ञाबुआ मध्य प्रदेश से पत्र क्रमांक 45/नग्रापि/अना./2021, 28 जनवरी 2021

को प्रतिलिपि कलेक्टर जिला ज्ञाबुआ के प्रेषित कर विषय, ग्राम सरुडिया (राणापुर-कुंदनपुर रोड) तहसील राणापुर जिला ज्ञाबुआ में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में पत्र जारी किया। जिसमें उल्लेख किया कि, सीडीआरएसएम इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड इंदौर द्वारा आवेदक गौरव पिता उदेसिंह नायक निवासी काकरादरा द्वारा ग्राम सरुडिया (राणापुर-कुंदनपुर रोड) स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 578, 579, 580, 581, 582, 583 कुल रकबा 0.620 है. में से भूमि क्षेत्रफल 1225 वर्ग मीटर भूमि पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया। प्रकरण के संलग्न दस्तावेजों के प्रशिक्षण एवं स्थल निरीक्षण से यह की प्रश्नाधीन स्थल मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम-53(3)(4)(ख) की तालिका के कालम क्रमांक 07 में संयोजन से न्यूनतम दूरी 100 मीटर की पूर्ति नहीं करता है। अतः प्रश्नाधीन भूमि पर नवीन रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप प्रयोजन हेतु कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रदान किया जाना उचित नहीं है। के साथ आपत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया।

उक्त पत्र सूचनार्थ पत्र क्रमांक 46 पर सीडीआरएसएम इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से आवेदक गौरव नायक को भी प्रेषित किया।

आईटीआई की जानकारी के बाद हुआ चौकाने वाला खुलासा

उक्त आपत्ती प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद क्षेत्र में यह सार्वजनिक हो गया था कि, गौरव नायक का प्रस्तावित पेट्रोल पंप शासकीय गाइडलाइन में मुख्य मार्ग से 100 मीटर के दायरे में आने के कारण कलेक्टर कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो कर आपत्ति प्रमाण पत्र जारी हुआ है और अब गौरव नायक का पेट्रोल पंप नहीं खुल सकता। जारी आपत्ति प्रमाण-पत्र भी गौरव नायक के माध्यम से सार्वजनिक हो चुका था, बावजूद कुछ समय के बाद ही सरुडिया में गौरव नायक ने पेट्रोल पंप खोलने हेतु निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जिससे क्षेत्रवासी अचंचित होकर सोचने लगे कि, जब कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा निवेश ज्ञाबुआ द्वारा आपत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, तो आखिर ऐसा क्या तिलिस्मी जादू रूपी आदेश जारी हुआ कि, गौरव ने कलेक्टर की एनओसी नहीं मिलने पर भी पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य चालू कर दिया। इसी संशय को दूर करने हेतु ग्राम कुंदनपुर के आरटीआई कार्यकर्ता धर्मेश राठौर ने 17 मार्च 2021 को संबंधित पंप की मंजूरी एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि के साथ जानकारी निकाली, तो 6 अप्रैल 2021 को पत्र क्रमांक

119 कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ज्ञाबुआ के प्रभारी अधिकारी ने सत्य प्रतिलिपि उक्त पेट्रोल पंप संबंधित दी। तो तिलिस्मी जादू के साथ उजागर हुआ कि, जिस दिनांक 28 जनवरी 2021 के उसी पत्र क्रमांक 45-46 पर जिस पत्र क्रमांक पर आपत्ति पत्र जारी किया था, उसी एक ही पत्र क्रमांक पर अभिप्रमाणित (अनापत्ति) पत्र जारी कर दिया गया। जिसमें जीएल वर्मा साहब ने कलेक्टर के नाम प्रति जारी कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते हुए उल्लेख किया कि, राणापुर से कुंदनपुर जाने वाला मार्ग स्थित दर्शाए अनुसार मार्ग विस्तार हेतु 15.85 मीटर भूमि छोड़ना आवश्यक होगा, भूमि छोड़ने के संबंध में संबंधित विभाग से अभीमत प्राप्त करना अनिवार्य होगा यदि उनके प्रावधानों के अंतर्गत इससे अधिक भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना हो तो छोड़नी होगी के साथ 19 पॉइंट के साथ 3 पेज में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपने बाप की बपौती मानकर हस्ताक्षरित कर एक ही पत्र क्रमांक पर एक पत्र पर आपत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया, तो दूसरे पत्र में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर 19 पॉइंट में इसे पॉइंट भी दर्शाई गए कि, मामला भविष्य में न्यायालय तक भी जाए तो अपने दिये तर्कों के साथ पतली गली से अधिकारी बच जाएगा। सर्वप्रथम पत्र में 100 मीटर की दूरी व नियम

का हवाला देकर आपत्ति पत्र जारी किया। तो दूसरे पत्र में उस सड़क दूरी को 85 प्रतिशत दायरा कम कर दिया गया। एक ही दिनांक में आपत्ति और अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर कलेक्टर के नाम से प्रति प्रेषित की गई लेकिन कलेक्टर द्वारा इस पत्र के संबंध में कोई सजाज नहीं लिया गया है। तय है ऐसे खेल कलेक्टर के अनधिकृत निर्देशों के साथ ही कार्यालयों से सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग कर अपने निजी स्वार्थ के साथ अपनी मांग पूरी कर चांदी की चम्मच ठुस-ठुसवाकर सिंदूर भरवाने वाले इस तरह की अपनी कारस्तानिया दिखा रहे।

उक्त कारस्तानिया प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह तो लगाती है, परंतु सरकार को नाकामियों को भी प्रदर्शित करती है।

मामले में हुई भोपाल तक शिकायत

खैर शिकायतकर्ता ने मामले को इंडियन ऑयल प्राइवेट लिमिटेड से लेकर भोपाल से लेकर बाम्बे तक संबंधित वरिष्ठ कार्यालयों में शिकायत की है। मामले में जांच भी शुरू हो चुकी है पर आईएस स्तर तक के अधिकारी इस जांच को अपनी बुद्धिमत्ता से किस स्तर तक प्रभावित करेंगे यह आगे देखने का विषय रहेगा।

प्रभारी सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अधिकारी ज्ञाबुआ जीएस वर्मा से इस संदर्भ में माही की गूँज की बात हुई, तो साहब कहते हैं लिपिकीय की त्रुटी वश पत्र जारी हुए हैं।

यह शब्दों की त्रुटी नहीं बल्कि आप एक जवाबदार अधिकारी द्वारा ही एक दिनांक व एक ही पत्र क्रमांक पर दो पत्रों का इस तरह से जारी करना त्रुटी कैसे माना जाए ?

उत्तर :- यह लिपिकीय त्रुटि है, अधिकारी सिर्फ साइन करता है और फाइल देखाता है, आवक-जावक लिपिकीय ही करता है

लिपिकीय तो अधिकारी के आदेश का ही पालन करेगा जो आपने आदेश दिया होगा वही लिपिकीय ने किया होगा न सर ? जिसके बाद साहब के पास जवाब नहीं रहा तो

उत्तर :- वर्क लोड के कारण इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, शिकायत हुई है उसकी जांच चल रही है, इसका जवाब भी दे दिया है।

पुलिस कमिश्नर सिस्टम को सीएम जल्द दे सकते हैं मंजूरी

भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जानकारी अनुसार पुलिस कमिश्नर सिस्टम का फइल ड्राफ्ट तैयार हो गया है और पंचायत चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार इसको मंजूरी दे सकती है। एक हफ्ते के अंदर इसकी अधिसूचना जारी की जा सकती है। सरकार का यह फैसला चुनाव पर असर डाल सकता है। दरअसल, बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला किया था। इसी बीच पंचायत चुनाव 2021 की



तारीखों का ऐलान हो गया। अब खबर मिल रही है कि, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली की अधिसूचना का ड्राफ्ट फइल कर लिया है और अब बस सीएम शिवराज की मंजूरी का इंतजार है। सिस्टम के लागू होते ही दोनों शहरों के पहले पुलिस कमिश्नर और अन्य अप्सरों की पोस्टिंग का आदेश भी जल्द जारी किया जा सकता है।

संभावना जताई जा रही है कि, यूपी दौरे से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सही दिशा में मोहर लगा सकते हैं और दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा। चूंकि 13 दिसंबर को वे यूपी के बनारस जाएंगे और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे। इसमें राज्यों के नवाचार व विकास के कामों का प्रेजेंटेशन होगा, ऐसे में अटकलें तेज हो गई हैं कि दौरे से पहले सिस्टम को प्रदेश में लागू किया जा सकता है और पुलिस अप्सरों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

सीडीएस का चौपट क्रैश, 13 लोगों की गई जान, डीएनए टेस्टिंग से होगी शवों की पहचान

कुन्नूर, एजेंसी। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को वायुसेना का चौपट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना के एमआई-17 हेलिकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 14 लोग सवार थे। जानकारी अनुसार हदसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। क्रैश के बाद हेलिकॉप्टर में आग लगने की वजह से शव बुरी तरह झुलस गए हैं। ऐसे में शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी। जनरल बिपिन रावत को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का हेलिकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि, यह हदसा कोहरे के कारण कथित तौर पर कम दृश्यता की वजह से हुआ। समाचार लिखे जाने तक वायुसेना ने जनरल रावत की हालत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी।

वायुसेना का एमआई-17वीएच हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस हादसे के कारण का पता लगाने के लिए 'कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' के आदेश दिए गए हैं। हेलिकॉप्टर ने कोयंबटूर के पास सुलुर् वायुसेना अड्डे से उड़ान भरी थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने घटना पर दुःख व्यक्त किया और संकेत दिया कि, हेलीकॉप्टर में 14 लोग थे। टेलीविजन पर दिखाई जा रही फुटेज में, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हेलिकॉप्टर से आग की लपटें उठती दिखीं। हेलिकॉप्टर के मानव बस्ती से दूर दुर्घटनाग्रस्त होने से एक बड़ी त्रासदी होने से हालांकि बच गई। दुर्घटनास्थल पर भारतीय वायुसेना के



हेलिकॉप्टर के क्षतिग्रस्त और जले हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि, उन्होंने तेज आवाज सुनी, जाहिर तौर पर हादसे की आवाज थी, और बाद में हेलिकॉप्टर में आग लगी, जिसमें उसमें सवार कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सीडीएस जनरल रावत वेलिंटन में 'डिफेंस सर्विसेज कॉलेज' (डीएससी) जा रहे थे। हेलीकॉप्टर नीलगिरि जिले के पर्वतीय क्षेत्र में कुन्नूर के निकट कातेरी-नंजण्णचिराम इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर हेलिकॉप्टर कोयंबटूर के सुलुर् से वेलिंटन में डीएससी की ओर जा रहा था, जहां जनरल रावत, थल सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे के साथ बाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे।



हेलिकॉप्टर के क्षतिग्रस्त और जले हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि, उन्होंने तेज आवाज सुनी, जाहिर तौर पर हादसे की आवाज थी, और बाद में हेलिकॉप्टर में आग लगी, जिसमें उसमें सवार कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सीडीएस जनरल रावत वेलिंटन में 'डिफेंस सर्विसेज कॉलेज' (डीएससी) जा रहे थे। हेलीकॉप्टर नीलगिरि जिले के पर्वतीय क्षेत्र में कुन्नूर के निकट कातेरी-नंजण्णचिराम इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर हेलिकॉप्टर कोयंबटूर के सुलुर् से वेलिंटन में डीएससी की ओर जा रहा था, जहां जनरल रावत, थल सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे के साथ बाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे।

छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय अब होगा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, कैबिनेट से मिली मंजूरी

भोपाल। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय अब शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी पहले ही घोषणा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के लिए गांवों के पुनर्वास के लिए प्रति परिवार मुआवजे की राशि भी 10 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपए भी कर दी। कैबिनेट ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किए जाने

के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन दिनों राज्य की सियासत में आदिवासी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जनजातीय वर्ग के जननायकों के नाम पर अनेक स्थानों के नामकरण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है। इससे पहले भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का



नाम राजा कमलापति के पर नाम किया गया और बिरसा मुंडा के जन्म दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इसके अलावा इंदौर में टंट्या भील की याद में भव्य कार्यक्रम हुआ। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों (संरक्षित क्षेत्रों) और टाइगर रिजर्व के कोरिडोर से ग्रामों के पुनर्वास का मुआवजा प्रति परिवार 10 लाख से बढ़कर

15 लाख रुपए करने को मंजूरी भी दी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ग्वालियर को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिये ग्राम लोहारपुर में स्थित 57.952 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की सांगठनिक संरचना में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में संशोधित आदेश को भी मंजूरी दे दी।

इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई, भोपाल-इंदौर में सेज ग्रुप के ठिकानों पर छापे

भोपाल। इनकम टैक्स विभाग ने सेज ग्रुप के भोपाल और इंदौर ठिकानों पर छापा मारा है। जानकारी अनुसार, आईटी की टीमों ने एजुकेशन और कंस्ट्रक्शन से जुड़े से सेज ग्रुप के भोपाल-इंदौर सहित अन्य ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। सेज ग्रुप पर 10 साल पहले भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। भोपाल में शिक्षा समूह व बिल्डर के एक दर्जन ठिकानों पर पड़ताल की जा रही है। वहीं सागर कॉलेज, सागर बिल्डर व डेवलपर के घर, दफ्तर और कॉलेज पर कार्यवाही जारी है। सोशल मीडिया पर यह जानकारी तेजी से वायरल हुई है और भोपाल में सेज ग्रुप के अररा कॉलेजों, अयोध्या बायपास सहित कुछ अन्य ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेज ग्रुप के अलावा एक अन्य एजुकेशन ग्रुप पर भी छापे की सूचना है लेकिन इस बारे में अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं, सेज ग्रुप के लिए पहुंची टीमों की कार्रवाई के लिए मंगलवार को आयकर ऑफिस में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें हुई थीं।

बिगुल बजा लेकिन संशय बरकरार

माही की गूंज, झाबुआ।

लोकतंत्र की सबसे छोटी लेकिन महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के चुनाव जो कि लंबे समय से कोविड-19 संक्रमण के कारण टाले जा रहे थे, आखिरकार घोषित तो हो गए हैं लेकिन अभी भी सबके मन में संशय बरकरार है कि, चुनाव घोषित तारीखों के दिन होंगे या नहीं होंगे...? संशय के दो कारण हैं पहला कानूनी दावपंच तथा दूसरा कोविड-19 के नए वैरियंट ओमीक्रोन को लेकर है। डेल्टा वैरियंट की दूसरी लहर की भयावहता की कल्पना मात्र से मन विचलित हो जाता है, ऐसे में तीसरी लहर की आशंका ने न केवल सरकार बल्कि आम आदमी के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी है, वहीं पुराने परिसीमन व आरक्षण के सरकार के फैसले पर कानूनी दावपंच जारी है। अब फैसला किसके पक्ष में आएगा इसका तो पता जल्द ही लग जाएगा लेकिन तमाम आशंकाओं-कुशंकाओं के बीच चुनावी

मैदान में किस्मत आजमाने के लिए तैयार बैठे नेताओं के चेहरे अवश्य खिल गए हैं। उनकी दिनचर्या में परिवर्तन हो गया है, विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने ये नेता सुबह से देर शाम तक गली मोहल्ले में चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से अभिवादन करना इनकी दिन चर्चा में शामिल हो चुका है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, धरने, रैली, सभाएं आदि बगैर अनुमति के प्रतिबंधित हो गए हैं। नए कार्यों पर रोक रहेगी पुराने रहेंगे ये प्रतिबंध नगरीय निकायों की सीमाओं के अंतर्गत नहीं है।

तय्या है पूरा चुनावी कार्यक्रम

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनावी



कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 3 चरणों में मत खले जाएंगे।

जिसने प्रथम चरण पेटलावद के लिए

13 दिसम्बर से 20 दिसम्बर तक

नामांकन, 23 दिसम्बर तक नाम वापसी

6 जनवरी को मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक

द्वितीय चरण में थांदला

13 दिसम्बर से 20 दिसम्बर से नामांकन, 23 दिसम्बर तक नाम वापसी

28 जनवरी को मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक

तृतीय चरण

झाबुआ, राणापुर व रामा के लिए

30 दिसम्बर 2021 से नामांकन, 10 जनवरी तक नाम वापसी 16 फरवरी को मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक

इसके अलावा अलीराजपुर जिले में एक ही चरण में 16 फरवरी को मतदान होगा। पंच तथा सरपंच के मतों की गिनती मतदान समाप्ति के पश्चात संबंधित मतदान केंद्रों पर ही की जाएगी, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। परिणाम ब्लाक मुख्यालय से आयोग द्वारा तय की गई तारीख के बाद घोषित किया जाएगा तथा विजयी अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र भी ब्लाक मुख्यालय से दिए जाएंगे। जनपद तथा जिला पंचायतों के निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक केटिंग मशीन इवीएम के माध्यम से किये जाएंगे तथा इनके परिणामों की घोषणा 23 फरवरी को की जाएगी। पंच के लिए सफेद मतपत्र, सरपंच के लिए हरा मतपत्र, जनपद सदस्य के लिए पीला मतपत्र तथा जिला पंचायत के लिए गुलाबी मतपत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

कलेक्टर-एसपी ने किया दौरा पंचायत चुनाव को लेकर दिए निर्देश, टीकाकरण के लिये की अपील

माही की गूंज मेघनगर। आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ लोगों को टीकाकरण पर जागरूक करने के लिए कलेक्टर सोमेश मिश्रा और एसपी आशुतोष गुप्ता ने मेघनगर विकासखंड का दौरा किया। इस दौरान वो मेघनगर के बालक उच्चतर विद्यालय पहुंचे यहां पर उन्होंने स्टूडेंट्स रूम के साथ 4 मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश भी दिए साथ ही आम जनता से पूर्ण टीका लगाने के लिए अपील भी की। स्टूडेंट्स रूम का निरीक्षण करते हुए एसपी श्री गुप्ता और कलेक्टर श्री मिश्रा ने मेघनगर के सीएमओ विकास खबर, तहसीलदार रविंद्र चौहान के साथ एसडीएम अंकिता प्रजापति को निर्देश दिए कि वह शासन के नियमों के अनुरूप ग्रामीण अंचलों के मतदान केंद्रों का दौरा कर सारी व्यवस्थाएं सुचारू हो इसके लिए काम करें। साथ ही टीकाकरण पर भी लोगों को जागरूक कर प्रेरित करें।



कलेक्टर ने बताया कि, विकासखंड या पूरे झाबुआ जिले की बात करें तो कोरोना का पहला टीका शतप्रतिशत लक्ष्य को हम पूरा करने के बहुत पास है, लेकिन कोरोना के दूसरे डोज को लेकर हम चाहते हैं कि, लोग दूसरा टीका लगाए और लोगों को इस टीके को लगवाने के लिए जागरूक भी करें, साथ ही आगामी पंचायत निर्वाचन चुनाव को लेकर आम जनता निष्पक्ष रूप से प्रशासन का सहयोग भी करें।

महाविद्यालय झाबुआ में कोविड-19 वैक्सिनेशन शिविर का आयोजन

केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का युवा चेयरमेन निलेश परमार 'सेन' को नियुक्त करने की मांग

सर्व सेन समाज ने मिलकर मप्र के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम झाबुआ को सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, झाबुआ।

शहीद चन्द्रशेखर आजाद, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ में मप्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार विद्यार्थियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अत्यापन कार्य प्रारंभ किया गया है। इस संबंध में कोविड-19 के बचाव हेतु सभी छात्र-छात्राओं को कोविड-19 वैक्सिनेशन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में जारी महा-वैक्सिनेशन अभियान के तहत महाविद्यालय में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्राएँ जिन्होंने किसी कारण से कोविड-19 वैक्सिनेशन का प्रथम या द्वितीय डोज नहीं लगवाया गया है। उनके लिए बुधवार को कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन

किया। संस्था प्रमुख एवं प्राचार्य डॉ. जे. सी. सिन्हा ने बताया कि छात्र-छात्राओं में कोविड-19 के प्रभाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए जून 2021 से सतत विभिन्न उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. रविन्द्र सिंह ने कहा कि आगे भी टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाता रहेगा जब तक कि सभी छात्र-छात्राओं को कोविड-19 वैक्सिनेशन का प्रथम एवं द्वितीय डोज नहीं लग जाता है। टीकाकरण शिविर में एल.एस. डोडिया सीएमओ नगर पालिका झाबुआ, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. राहुल गणावा के साथ पुष्पा भूरा तथा नरमा मंडोडिया स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अनिता डामोर, दीपिका गवली आशा कार्यकर्ता व सीता



बारिया आंगनवाडी कार्यकर्ता ने उपस्थित रहकर टीकाकरण कार्य सम्पन्न कराया। महाविद्यालय कोविड-19 प्रभारी डॉ. कौशलेश पाठक ने अवगत कराया कि आज आयोजित टीकाकरण शिविर में कुल 72 छात्र-छात्राओं को कोविड-19 वैक्सिनेशन का द्वितीय डोज लगवाया गया। टीकाकरण शिविर में महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. संजू गांधी, सहायक प्राध्यापक डॉ. प्रदीप कटारा, डॉ. रीता गणावा, डॉ. मनीषा सिसोदिया, डॉ. रंजना रावत, डॉ. कुंवरसिंह चौहान, प्रो. दिलीप राठौर, डॉ. संगीता भाबोर, डॉ. हरिओम अग्रवाल, डॉ. रवि विष्णुकर्मा, प्रो. पंकज कुमार बारिया, प्रो. अजय कुमार, प्रो. अंतिम कलवार एवं प्रो. रितेश तंवर ने उपस्थित रहकर छात्र-छात्राओं के टीकाकरण में सहयोग प्रदान किया।

माही की गूंज, झाबुआ।

भारतीय सर्व सेन समाज एवं मप्र के सर्व सेन समाज के आह्वान पर सर्व सेन समाज झाबुआ द्वारा भी मंगलवार को मप्र के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नाम ज्ञापन एसडीएम झाबुआ लक्ष्मीनारायण गंग को सौंपा गया। जिसमें सभी ने सामूहिक रूप से मांग की है कि केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का युवा चेयरमेन निलेश परमार 'सेन' को शासन स्तर से मनोनीत किया जाए। जानकारी देते हुए भारतीय सेन समाज झाबुआ के अध्यक्ष घनश्याम भाटी ने बताया कि मप्र का आम नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता तथा भाजपा युवा मोर्चा पद पर पदस्थ और सेन समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष, जमीनी स्तर से जुड़े हुए भाजपा के युवा निलेश विनोद परमार 'सेन', जो हर वर्ग को भाजपा की सरकार की योजनाओं से लाभान्वित

करने का प्रयास करते हैं। वृहद स्तर पर होने वाले समाज का अन्नकूट आयोजन का भी पूर्ण लाभ लेते हैं। उनके लिए 'नर सेवा ही नारायण सेवा है'। ऐसे झाबुआ जिले के ग्राम पारा में रहने वाले भाजपा से जुड़े युवा निलेश परमार को केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का चेयरमेन नियुक्त किया जाना, ना केवल झाबुआ जिले अपितु संपूर्ण मप्र और भारत में भी समाज के लिए गौरव का विषय रहेगा। निलेश परमार इस पद पर रहकर समाज हित में और तत्परता तथा सक्रियता के साथ कार्य करेंगे। ज्ञापन में अंत: में कहा गया कि झाबुआ जिला, मप्र और संपूर्ण भारत का सर्व सेन समाज यह मांग रखता है कि निलेश परमार को शासन स्तर से इस पद पर जल्द ही मनोनीत कर गौरवान्वित किया जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि सेन समाज की ओर से



भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा एवं स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग को भी प्रेषित की गई है। ज्ञापन सौंपते समय सेन समाज झाबुआ की ओर से राजेश देवड़ा, दिलीप सेन, सतीश परमार, विनोद सेन, प्रिया चौहान, रमेश सेन, मनोज सेन, कातिलाल, कपिल सहित बड़ी संख्या में समाज के अन्य लोग उपस्थित थे।

11 दिसम्बर को जिला न्यायालय परिसर झाबुआ एवं तहसील न्यायालय पेटलावद एवं थांदला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

माही की गूंज, झाबुआ।

11 दिसम्बर-2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के द्वारा जिला न्यायालय परिसर झाबुआ एवं तहसील न्यायालय पेटलावद एवं थांदला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ मोहम्मद सैयदुल अब्दर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जिसकी तैयारी अपर जिला न्यायाधीश-सचिव लीलाधर सोलंकी के निर्देशन में की जा रही है। इसी तारतम्य में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा आगामी 11 दिसम्बर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रचार वाहन को न्यायालय परिसर झाबुआ से प्रधान जिला न्यायाधीश मोहम्मद सैयदुल अब्दर द्वारा हरी झण्डा दिखाकर रवाना किया। प्रधान जिला न्यायाधीश ने बताया कि इस वाहन के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों को जानकारी तो होगी ही साथ ही विभाग के कार्यों के बारे में भी लोगों की समझ और बेहतर होती है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार के लिए

यह वाहन लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सहायक होगा तथा जरूरतमंद एवं असक्षम लोगों को जागरूक करने का विशेष कार्य करेगा साथ ही यह प्रचार वाहन शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को विधिक जानकारी देगा ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। इस प्रचार वाहन से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी पेम्पलेट का भी वितरण किया जायेगा। इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश संजय चौहान, भरत कुमार व्यास, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नदीम खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट राजकुमार चौहान, हर्ष ठाकुर, तनवी माहेधरी ठाकुर, प्रतिभा वास्केले, अमन सुलिया, अध्यक्ष अभिभाषक संघ झाबुआ दीपक भण्डारी, उपाध्यक्ष अर्चना राठौर, शरद चंद्र शुक्ला, राजेश कुमार पंड्या, सत्य प्रकाश पांचाल एवं अन्य अधिकारण उपस्थित रहे।



नगरपालिका की सीमा में आने वाले सभी प्रकार की संपत्तियों का जीआईएस आधारित सर्वे कार्य हुआ आरंभ

भोपाल के अधिकारियों ने नगरपालिका की टीम के साथ मिलकर वार्ड क्र. 18 से कार्य की शुरुआत की

माही की गूंज, झाबुआ।

मप्र शासन की योजना 'शहरी सुधार कार्यक्रम' के तहत नया परिपद झाबुआ की सीमा अंतर्गत आने वाले समस्त वार्डों में आने वाली शत-प्रतिशत आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों का जी.आई.एस. सर्वे (जियोग्राफिकल इंफारमेशन सिस्टम) आधारित सर्वे कार्य आरंभ हो चुका है। जिसकी शुरुआत मंगलवार शाम 4 बजे से नगरपालिका परिषद के साथ भोपाल से आए अधिकारियों ने पायलट वार्ड क्र. 18 से की। शुभारंभ अवसर पर नगरपालिका



वार्ड 18 के जीआईएस आधारित सर्वे का अवलोकन करते हुए न्यायिक, सीएमओ, पार्षद एवं भोपाल से आए अधिकारी। अध्यक्ष मन्वन्ने डेविडियार, सीएमओ एलएस डोडिया के साथ राजस्व शाखा प्रभारी अयूब खान, सहायक मुकेश चौहान, वार्ड क्र. 18 के पार्षद नरेन्द्र राठौरिया तथा भोपाल से आए प्रोजेक्ट मैनेजर योगेश प्रतापसिंह और उनकी पूरी टीम भी मौजूद रहे। जिसमें



जीआईएस आधारित वार्डवार ड्रोन कैमरे से नक्शा तैयार करने के साथ प्रापटी (प्लॉट) के अंतर्गत निर्मित सभी आरसीसी, टीनशेड, कच्चा पापटी, स्ट्रक्चर की भौतिक टैप द्वारा माप एवं प्रापटी-फेक्ट्री आदि का फोटोग्राफ लिया जाना है।

सिस्टम एंड कंसल्टेंसी सागर के साथ संयुक्त उद्यम में मेसर्स मास्टर्स ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेस भोपाल को अधिकृत किया गया है। अनुबंधित संस्था की सर्वे टीम द्वारा नगरीय सीमा क्षेत्र में जीआईएस आधारित सर्वे कार्य शहर के 18 वार्डों में संचालित किया जाएगा। नगरपालिका द्वारा उक्त कार्य में संपूर्ण शहरवासियों से भी सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की गई है। सर्वे कार्य से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नगरपालिका परिषद झाबुआ में भी संपर्क किया जा सकता है।

सागर एवं भोपाल की टीम को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी

उक्त कार्य के संपादन हेतु संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल मप्र द्वारा मेसर्स आभा

अमानतदारों का सम्मान किया गया

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मयूर झाबुआ के महाप्रबंधक आर.एस.वसुनिया के मार्गदर्शन में बचत पखवाडा कार्यक्रम 8 दिसम्बर 2021 को मुख्य शाखा परिसर में मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान 07 विरिष्ठ अमानतदारों का शॉल, साभ एवं श्रीफ्ल भेंटकर सम्मान किया गया। यह उल्लेखनीय है कि बैंक द्वारा समस्त शाखाओं में दिनांक 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक बचत पखवाडा मनाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत बैंक की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये अमानतों पर ब्याज दरों में वृद्धि की जाकर अधिक से अधिक अमानतों का संग्रहण किया जा सके। जिसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है तथा इस दौरान अमानतदारों का भी सहयोग मिल रहा है। इस सप्ताह में लगभग 50.00 लाख की अमानत प्राप्त की गई है। मुख्य शाखा के अमानतदार श्री कमलकांत मालवीय, पत्रालाल परमार, डॉ. लोकेन्द्रसिंह राठौर, कोकिला जैन, विरेन्द्र सकलेचा, अब्दुल वाहिद शेख एवं गौरव मांगीलाल का सम्मान किया गया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक दिलीप वाणी, सहायक लेखापाल राजेन्द्र माहेधरी, कृ. आकांक्षा मगर, राकेश कलेडिया, बल्लूसिंह वाखला आदि उपस्थित हुये। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुपीला डामोर द्वारा किया गया।



जागो एसपी साहब...

चोरों ने एसआई के घर किया हाथ साफ, एक रात में कई जगह चोरी को दिया अंजाम

वया पुलिस करेगी एफआईआर दर्ज या आम जनता की तरह पुलिस को भी होना पड़ेगा प्रताड़ित

माही की गूंज, पेटलावद।

बीते एक माह में चोरो ने पेटलावद थाना क्षेत्र की पुलिस का जीना हराम कर दिया एक के बाद एक चोरी की घटना से पुलिस की नींद उड़ी हुई है। इन चोरी की घटनाओं की खास बात ये है कि, चोर ग्रामीण इलाकों को नहीं, ज्यादातर उन्हीं स्थानों को निशाना बना रहे हैं जहां पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था है, मतलब चोर पेटलावद नगर सहित, बामनिया, सारंगी, करवड़ जैसे स्थानों पर रोज किसी न किसी तरह से बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरो का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि, चोर एक रात में एक-दो नहीं दस-दस घरों को निशाना बना रहे हैं, वहीं पुलिस के पास अभी एक मात्र जवाब है कि, हम ट्रेस करने में लगे हैं। इस बार तो पुलिस के ही दोषारोपण हो गए, जब सारंगी चौकी के पीछे स्थित पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस स्ट्राफके निवास से चोरो ने लाखों का माल उड़ा लिया। रात में पेटलावद थाना अंतर्गत सारंगी चौकी एवं तहसीलदार निवास के पीछे बने पुलिस क्वार्टर पर अज्ञात चोरों ने दो पुलिसकर्मी के सुने घर का ताला तोड़कर पूरे घर का सामान साफकर दिया। पुलिसकर्मी अरुण गोयल के सुने घर से लगभग 5 लाख से अधिक सोने के जेवर चोरी करने में



कामयाब हो गए, एवं सारंगी चौकी में पदस्थ नीरज हेड साहब के सुने घर पर भी निशाना बनाया गया, जहां से उनका बैग वगैरा ले जाने में कामयाब हुए, हालांकि उनके घर में कोई नगदी एवं सोने-चांदी के जेवर नहीं थे। जिसके कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वहीं सारंगी गांव में भी चोरों ने रात भर खूब उपात मचाया। सारंगी गांव में लगभग 4 से 5 घरों को निशाना बनाते हुए, चोरी का असफल प्रयास किया, क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी को पुलिस द्वारा ट्रेस नहीं कर पा रही है, जिससे स्थानीय पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समय रहते पुलिस द्वारा चोरों को जल्द ट्रेस नहीं किया गया, तो क्षेत्र में बड़ी वारदातें एवं जनहानि होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी तो यह चोर घर का सामान साफकर दिया है लेकिन जिस प्रकार से चोर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं की वो खुले घरों में

घुसकर भी मारपीट कर लूटपाट को अंजाम दे रहे। पेटलावद में हुई वकील मनोज पुरोहित के घर चोरी के मामले के बाद चोरो ने करवड़ में दो बार, बामनिया में और अब सारंगी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, बड़े मामले को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मामलों में पुलिस ने कोई मामला तक दर्ज नहीं किया है, ऐसे में पुलिस के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस का क्या रुख रहता है ये देखना होगा।

दिन में सड़क पर पुलिस कर रही वाहनों की जांच, रात में गाड़िया चोरी

एक और पुलिस सुने घरों में चोरी की वारदातों से परेशान है तो दूसरी ओर बढ़ती वारदातों ने पुलिस को अंजाम दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं की वो खुले घरों में

वारदात भी बढ़ती जा रही है, मेला क्षेत्र से करडावद निवासी की एक और मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना है। पेटलावद पुलिस दिन में बामनिया रोड, बदनावर रोड, थांदला रोड और रायपुरिया रोड पर सत वाहन चेकिंग अभियान चलाती है, जिसमें लगभग 10 से अधिक पुलिस, महिला आरक्षक सहित वाहन चेकिंग के नाम पर वसुली में व्यस्त रहे हैं। इतने समय में इस अभियान में एक भी वाहन चोरी का पुलिस को जवाब देने में सफलता नहीं मिली, पुलिस द्वारा वाहनों को रोक कर कांस्टेबल द्वारा चेकिंग कराया जा रहा है जो अपराध ट्रेस जाते हैं, जबकि लगातार बढ़ती वारदातों की घटनाओं को देखते हुए रसीद बनाने और वसुली करने की जगह ये पृष्ठ की जानी चाहिए कि, वाहन पर लिखा नम्बर यातायात विभाग में दर्ज है या नहीं और किसके नाम से दर्ज है जो कि डाटा आन लाइन भी उपलब्ध

है, लेकिन पेटलावद पुलिस द्वारा वाहन जांच के नाम पर अघोषित वसुली की जा रही है, बीते 15 दिनों में 5 से अधिक वाहन चोरी हो चुके हैं।

जागो एसपी साब

जिले में अपराध नियंत्रण करने का दावा करने वाले एसपी आशुतोष गुप्ता के सामने पेटलावद थाना क्षेत्र में लगातार हो रही वारदातों पर मीन धारण किये हुए हैं, आये दिन पुलिस व्यवस्था में बदलाव करने वाले साहब पेटलावद थाना क्षेत्र में बढ़ती वारदातों से निपटने के लिए यहां स्पेशल पुलिस को तैनात करना चाहिये, ताकि शराब के अवैध कारोबार से लेकर जुवे, सट्टे के कारोबार पर नियंत्रण कर चोरी की घटनाओं को ट्रेस कर सके। वहीं पुलिस का सूचना तंत्र पूरी तरह से धराशायी हो गया है, क्योंकि किसी भी प्रकार की जानकारी पुलिस तक पहुंचने वाली के नाम बहार आ जाते हैं। जिससे सूचना देने वाली को आपसी रजिश्त का शिकार होना पड़ता है जो अपराध ट्रेस नहीं होने का बड़ा कारण माना जा रहा है। बढ़ती चोरी की घटनाओं के चलते आम जन का पुलिस के खिलाफ गुस्सा कभी भी फूट सकता है, वहीं कांग्रेस भी सरकार को कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सरकार घेरने की तैयारी कर रही है।

शनिवार से शुरू हुई मंडी, मंगलवार को फिर से बंद

माही की गूंज, थांदला।

साप्ताहिक हाट (मंगलवार) जिस दिन क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबक-व्यापार चलता है, उस दिन को छुट्टी के लिए चुना गया ताकि क्षेत्र का मंडी आधारित व्यवसाय मंडी से बाहर निजी दुकान पर ही संचालित किया जा सके एवं छुट्टी के नाम पर मंडी के बाहर कृषि व्यापार को सैद्धांतिक संजोरी भी मिल जाए, जब कि होना यह चाहिए था की आज के दिन थांदला की मंडी व्यापार के पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़कर सर्वाधिक व्यवसाय करे, लेकिन यह हो ना सका। थांदला की मंडी को साप्ताहिक अवकाश के नाम पर मंगलवार को बंद रखा गया, लेकिन मंडी के बाहर व्यापार चल रहा। ज्ञातव्य है कि, काफी प्रयासों के बाद थांदला मंडी को चालू किया जा सका है और मंडी की प्रसिद्धि हेतु इसे मंगलवार को चालू रखना अति आवश्यक एवं लाभकारी साबित हो सकता है। थांदला का कृषि व्यापार झाबुआ जिले में सबसे अहम स्थान रखता है, क्योंकि झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले की सबसे बड़ी एवं मात्र दो कपास जीनिंग फैक्टरी थांदला एवं मेघनगर में है, जो कि थांदला मंडी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, मेघनगर में उपमंडी है यह भी थांदला मंडी के ही अधीनस्थ है, थांदला की सब्जी मंडी जो कि जिले की सबसे बड़ी मंडी भी है बिना किसी अवकाश के चलती है एवं सिर्फ तीज त्यौहार पर बंद रखी जाती है, इसलिए मंगलवार के दिन अनाज मंडी को बंद रखना भी समझ से परे है, वहीं मंडी के बंद कर मंडी कर्मचारी अवकाश पर रहते हैं यदि रविवार को थांदला मंडी को बंद कर क्षेत्र की एक उप मंडी काकनवानी को खोला जा सकता है, क्योंकि रविवार को काकनवानी का साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, इस तरह यदि प्रयास किया जाए तो थांदला, काकनवानी, मेघनगर की तीनों मंडियों को एक साथ विकसित किया जा सकता है। थांदला मंडी परिसर में आज एकमात्र दुकान सूर्या ट्रेडर्स के द्वारा लगाई गई, बाकी सभी व्यापारियों द्वारा अपने नियत निजी व्यापार स्थल पर ही व्यवसाय किया गया। व्यापारियों के द्वारा असुविधा का हवाला दिया गया तो मंडी सचिव अश्विन वसावा का कहना है, आज मंडी में अवकाश होने से बाहर दुकान लगाई गई, जबकि मंडी प्रभारी अनिल भाना ने बताया कि, मंडी के विकास हेतु आवश्यक हुआ तो रविवार को अवकाश रखा जाएगा एवं मंगलवार को मंडी चालू रहेगी, लेकिन अब मंडी के बाहर कृषि व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी।



बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65 वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया



माही की गूंज, पेटलावद।

बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65वां परिनिर्वाण दिवस सोमवार को नगर के नई बस्ती में स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया गया। जिसमें नगर पारिषद अध्यक्ष मनोहर लाल भट्टेवार, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जगतपट्ट, समग्र अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज परमार, डॉ अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ व बलाई समाज महासंघ के जिला अध्यक्ष मुकुंश सिंसोदिया, एवं पुरानी पेशान बहली महासंघ संयुक्त मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नानुराम गामड सहित सुनील खोड़े, बबलू परमार, बलदेव सिंह राठौर, गोपाल परमार, रमेशचंद्र वाग, आदि भीम अनुयाई विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस मनाते हुए माल्यार्पण किया। वहीं भाजपा द्वारा



लाल चौहान, मनीष वाघेला आदि कार्यकर्ताओं ने कैडल प्रज्वलित कर बाबा साहेब अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्प माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया कार्यक्रम

सविधान गौरव अभियान के अंतर्गत बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम संयोजक एवं सहसंयोजक विशेष रूप से उपस्थित रहे।

माही की गूंज, थांदला।

जय सविधान कार्यक्रम संपन्न लोकतंत्र के महापर्व सविधान गौरव दिवस के रूप में वागड़िया फ्लिया एमजी रोड अंबेडकर परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर अनुसूचित जाति मोर्चा एवं पुरानी पेशान बहली महासंघ संयुक्त मोर्चा के अतिथि मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी सदस्य के जिला सह संयोजक राजू धनक विशेष अतिथि विजय नरवरिया, राजेश डामोर, सकल बलाई समाज ब्लॉक उपाध्यक्ष बलू

को संबोधन राजू धनक ने भारत रत्न सविधान के जननायक, सर्वधर्म, सर्व, समाज के जन कल्याणी सविधान की जो रोशनी हमको दी है वह घर घर शिक्षा को महत्व देने आत्म निर्भर बनने की बात कही कार्यक्रम सविधान गौरव दिवस संपन्न हुआ कार्यक्रम का सफल संचालन प्रफुल्ल धामनिया ने किया, आभार शोमेश डामेसा माना।



सात सालों के लंबे अंतराल के बाद भी नहीं बन पाया आदर्श गांव

माही की गूंज, थांदला।

परवल्या नाम से ही चरितार्थ है परवल्या याने कि दूरियों पर मेहरबान होने वाला, आगंतुकों और मेहमानों के साथ उच्च व्यवहार एवं प्रगति के लिए बना गांव। भगवान रणछेड़ राय की कृपा दृष्टि एवं उमगणी तथा आधमणि नामक दो नदियों के बीच बसा परवल्या समस्त प्राकृतिक संभावनाओं के बावजूद भी अपने विकास की बाट जोह रहा है। आस-पास की पंचायतों मसलन, मानपुर, चिकलिया, रूपगढ़, आमली, दौलतपुरा, खांदन, टिमरवानी के साथ ही देवीगढ़, झापादर एवं इटावा का यह मुख्य संपर्क एवं व्यापारिक केंद्र है, मसलन यही से इन्की फसल, इलाज, शासकीय सुविधा, बैंकिंग जरूरतों की पूर्ति होती है। सुविधाओं के नाम पर अब से 20 वर्षों पूर्व और आज के परवल्या की बात करें तो शायद गांव के रहवासी पुराने दिनों की शासकीय व्यवस्था को आज से लाख गुना

बेहतर ही मानेंगे, आज से लगभग दो दशक पूर्व परवल्या में पोस्ट-ऑफिस, पंचायत भवन, पुलिस-चौकी, ग्राम विकास अधिकारी, बैंक, शासकीय अस्पताल डॉक्टर के साथ, पानी की टंकी, गांव की प्रत्येक गली में हैंडपंप की व्यवस्था, शासकीय स्कूल की उच्च गुणवत्ता वाली पढ़ाई एवं खेल की सुविधा, बालक एवं बालिका छात्रावास, पशुओं के लिए अस्पताल, कांजी हाउस, दूध डेयरी, मॉडर, दरगाह, नदी का घाट, स्टाप डेम, भरपूर पानी आदि इन सभी सुविधाओं के साथ परवल्या क्षेत्र का सबसे समृद्ध गांव था, लेकिन शासकीय उदासीनता, मजबूर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव एवं भ्रष्ट आचरण के चलते आज गांव की यह दशा ही चुकी है कि, पीने के पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए लोगों को रोज सुबह 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, सिर पर एवं मोटर साइकिल पर पानी के खाली - भरे केन लिए लोग सुबह बड़ी आसानी से

मिल जाएंगे। लगभग 30,000 की आबादी परवल्या के आस-पास लगभग 8 पंचायतों में निवास करती है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर एक पूर्ण विकसित स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर की सुविधा आज तक नहीं मिली, पानी की टंकी नहीं लेकिन आज तक उपयोग में नहीं लाई गई, पुराना पंचायत भवन आज भी ग्राम विकास की बाट जोह रहा है, दूध डेयरी एवं कांजी हाउस की सुविधा भी दम तोड़ चुकी है। गांव में ना तो पोस्ट - ऑफिस की सुविधा है और ना ही कभी किसी कृषि एवं ग्राम विकास से संबंधित अधिकारियों को ग्राम में निवास की अपील की, स्कूल, पंचायत या फिर किसी भी शासकीय विभाग का कोई कर्मचारी यहां निवास करता है, खेल के मैदान, गौशाला या फिर चारागाह की कोई सुविधा का प्रयास ही नहीं हुआ, सामुदायिक भवन का निर्माण भी अनेक वर्षों के अभाव में पूर्णता से पहले ही बिखरना शुरू हो गया, सिंचाई के लिए ना कोई तालाब

बने ना ही नदी पर कोई व्यवस्था की गई, मंडी या फिर बाजार लगवाने या हाट एवं व्यापार मेले की बात ही बेमानी लगती है, शासकीय कुओं एवं नलकूपों को भी निजी हाथों में सौंप दिया जाना गांव के जलसंकट को भी जन्म दे गया, आखिर इन सबके बावजूद भी किसी तरह कुशल हिसाब-किताब का तमगा मिला और बदले में 12 लाख की बड़ी धनराशि एवं आदर्श गांव की संकल्पना मिली, लेकिन साकार रूप में कहा परिकल्पित हुई यह दूध पाना मुश्किल ही लगता है...? खैर अब फिर से एक मौका चुनव आयोग ने दे दिया है, आगामी 28 जनवरी को परवल्या का प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य किसे मिलता है? एवं परवल्या का तारणहार बनाने का भार गांव की जनता किसे सौंपती है यह अब परवल्या के ग्राम वासियों एवं उनकी समझ शीलता पर निर्भर करेगा, सभी को ग्राम विकास के सबसे बड़े त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

उच्च शिक्षा मंत्री के नाम दिया ज्ञापन



माही की गूंज, थांदला।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई थांदला ने कार्यकर्ता व छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल के नाम पर शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में मांग की गई, छात्रवृत्ति व आवास सहायता राशि का भुगतान करें। नए सत्र 2021-22 में छात्रवृत्ति फर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें क्योंकि जनजाति बहुल जिला होने से छात्रवृत्ति व मजदूरी पर छात्रों की पढ़ाई निर्भर रहती है। महाविद्यालय के छात्रों को काफ़ी स्टेशनरी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, महाविद्यालय प्रशासन और शासन सभी छात्रों को समान दृष्टि से देखते हुए उक्त मांगों का शीघ्र समाधान करें अन्यथा छात्र शांति विद्यार्थी परिषद आ आंदोलन करेगी जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन सरकार की रहेगी। ज्ञापन में जिला संयोजक प्रताप कटारा अध्यक्ष विकास भूषिया एवं परिषद के पदाधिकारी व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

रेत के अवैध परिवहन पर सतत कार्यवाही जारी

माही की गूंज, झाबुआ।
रेत के अवैध परिवहन पर सतत कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में राजस्व अमले तहसीलदार सुखदेव डाबर एवं सनिज अमले द्वारा मंगलवार को राणापुर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें डम्पर क्रमांक जी.जे.-19-8288 व 2 ट्रेक्टर ट्राली बिना नंबर की अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर थाना राणापुर की अतिरक्षक ने रवे गे। इन सभी वाहनों पर म.प्र. रेत (खनन, परिवहन तथा भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के अंतर्गत अर्थदण्ड वसूल किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

सभ्य नागरिक ने बेतरतीब वाहन पार्किंग को लेकर थांदला पुलिस से की थी शिकायत

बयान के वक्त दिखाया पुलिसिया रौब

तिवारी की टेंगरई लगा रही पुलिस की देश भक्ति जनसेवा वाली छवि पर दाग

माही की गूंज, थांदला।

देश जहां स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो वहीं सरकार व राजनीतिक दल के पदाधिकारी, नेता आदि आजादी के महायज्ञ में आहुतियां डालने वाले वीरों के घर जाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं थांदला पुलिस का एक एसआई अपने पुलिसिया दंभ में इतना मदहोश है कि उसे सभ्य नागरिक व स्वतंत्रता सेनानी परिवार के उत्तराधिकारी से बात करने की तमीज भी नहीं है। उस सभ्य नागरिक का दोष केवल इतना था कि उसने बेतरतीब वाहन पार्किंग को लेकर थाना प्रभारी को एक पत्र लिखा था। उस पर 40 दिन बाद भी कोई कार्रवाई

नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक को इस मामले से अवगत करवाया गया। जिस पर थांदला थाने पर बयान के लिए बुलाने पर जमकर अभद्रता की गई। जिला पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में पत्र लिखने वाले को बयान देने के लिए पुलिस थाने पर बुलाया गया। उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार कर उसे अपमानित करते हुए पुलिसिया लहजे में कहा गया- यह पुलिस थाना है, समझे। आप बाहर कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं। ज्यादा मत बोलना, जितना पूछे उतना उत्तर देना।

हवा युं कि एक कपड़ा व्यापारी और उसके यहां काम करने वाले नौकरों के 8-10 वाहन पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से जिस व्यक्ति के मकान के सामने रखते हुए उसे जगह को स्थानी वाहन स्टैंड बना लिया। चोरी और सीना जोरी की कहवत को चरितार्थ करते हुए झगड़े की स्थिति निर्मित कर दी। इसी बात को लेकर सभ्य नागरिक व 45 वर्षों से राज्य स्तरीय पत्रकारिता की सूची में शामिल मकान मालिक ने पुलिस थाना प्रभारी को 27 सितंबर को पत्र भेजा था। जिस पर 40 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर 5 नवंबर को पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा तब कही जाकर 20 नवंबर को स्थानी वाहन स्टैंड हटाने की कार्रवाई हुई।

इस सभ्य नागरिक ने बताया कि, 27 नवंबर को पुलिस थाना थांदला में संबंधित व्यक्ति को बयान देने के लिए बुलाया गया। एसआई तिवारी ने कहा- यह पुलिस थाना है। आप बाहर कोई भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, जितना पूछ जाए उतना उत्तर देना। फलतः दिमाग खराब मत करो, भरे पास टाइम नहीं है। एसआई तिवारी बार-बार यह दोहराते रहे, जिस पर जिन्हें बयान देने के लिए बुलाया था उन्होंने कहा कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। सुन लीजिए मैं कुछ भी नहीं- मैं तो स्वतंत्र भारत का साधारण नागरिक हूँ। इस पर एसआई तिवारी ने कहा कि चुप रहो यह

उस सभ्य व्यक्ति का कहना है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्यवाही के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस थाना थांदला के एसआई तिवारी ने जो व्यवहार किया है उसके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है।

जलाऊ लकड़ी की चाह में जंगल का हो रहा सफाया... वन अमले की लापरवाही हो रही उजागर

माही की गूंज, भानपुरा। सहित अगवान

नगर भानपुरा के समीपस्थ छोटे-बड़े महादेव एवं अरावली की पहाड़ियों पर विगत कुछ वर्षों से जंगल लगातार घने होते जा रहे थे। जिससे पर्यावरण प्रेमी काफी खुश थे। यही नहीं यहां पर वर्षा काल में बड़े महादेव सहित छोटे महादेव बिजोलिया, चतुर्भुज नाथ, कथिरिया

सहित अनेक स्थानों पर प्रतिदिन हजारों पर्यटक प्रकृति की गोद में अपने शहरों से कहीं दूर आकर हरियाली झरने धार्मिक क्षेत्रों का भरपूर आनंद ले रहे थे। वहीं अब लगातार विगत एक माह से जलाऊ लकड़ी की चाह में नगर की अनेक मजदूर वर्ग की महिलाएं प्रतिदिन घने व हरे-भरे पेड़-पौधों को काटने में लगी हुई हैं। वहीं वन विभाग भानपुरा यदा-कदा अपनी ड्यूटी निभा कर

चैन की नींद सोए हुए हैं। इसी के कारण उपरोक्त क्षेत्र के जंगल तेजी से नष्ट हो रहे हैं। प्रकृति प्रेमी प्रातः काल भ्रमण करने वाले क्षेत्रवासी अपने जंगलों की बेरहमी से कटाई देखकर आक्रोशित हो खून का घूंट पीने को



मजबूर है, परंतु जवाब देह वन विभाग जानने को तैयार नहीं है। उच्चाधिकारी भी लगता है इस ओर से आंखें मूंदे हुए हैं। यदि तेजी से कटते हुए छोटे बड़े महादेव व पहाड़ों के पेड़ पौधों को नहीं बचाया गया तो निश्चित ही

आने वाले समय में यहां पेड़ों का दिखना मुश्किल हो जाएगा। एक और शासन प्रशासन राज्य व केंद्र सरकार वनों को बचाने में बड़े बड़े वादे व योजनाएं लाते हैं परंतु ऐसा ही चलता रहा तो यहां के जंगल जल्दी ही पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे तो इसमें कोई हेरानी की बात नहीं है। वन रेंजर कमलेश सालवी ने बताया कि, हमें कटाई की सूचना मिली थी इस पर

वन अमले ने कार्रवाई करते हुए कुछ महिलाओं के लकड़ी सिर बोझ को जांच किया है। महिलाएं मौके से भागने में सफल रही हैं, आगे भी कार्रवाई स्पष्ट की जाएगी एवं जंगलों को हर हाल में बचाया जाएगा। वन रेंजर सालवी ने बताया कि, मुखबिर बिटाए गए हैं एवं समय-समय पर वन अमला जंगलों की निगरानी करने हेतु और मुस्तैदी से कार्य करेगा।

लापरवाह बीएमओ डॉ. चौहान निलंबित

मामला: संबल योजना के तहत हितग्राही की सहायता राशि को रोकने का

माही की गूंज, मंदसौर।

ये है मामला

उज्जैन संभागयुक्त संदीप यादव ने संभाग के मंदसौर जिले के सीतामऊ विकास खण्ड के विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविंद चौहान की गंभीर लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संभागयुक्त ने म.प्र. सिविल सेवा नियम के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलम्बन आदेश जारी किया है। निलम्बन आदेश की प्रभावशीलता के दौरान डॉ. चौहान का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला मंदसौर रहेगा। निलम्बनकाल में डॉ. चौहान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

मध्यप्रदेश में ऐसे हजारों मामले हैं परंतु यह मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया था इसलिफ फटाफट कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी अनुसार सीतामऊ तहसील के ग्राम सेमली निवासी रमेशलाल मेघवाल की पत्नी जस्सुबाई की प्रसूति 13 अक्टूबर 2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुवासरा में हुई थी। शासन की योजनाओं के तहत जननी सुरक्षा योजना के एक हजार 400 रुपए व संबल के अंतर्गत प्रसूति सहायता योजना के 12 हजार रुपए जस्सुबाई को मिलना था। पर समय पर सहायता राशि नहीं मिली।

रमेशलाल ने अस्पताल प्रभारी



चिकित्सक से लेकर बीएमओ, सीएमएचओ तक को शिकायत की पर उसे मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत प्रसूति सहायता राशि नहीं मिली। तब जाकर इसी वर्ष 5 अप्रैल को समाधान ऑनलाईन में शिकायत दर्ज कराई तो भी एल वन पर सीतामऊ बीएमओ डॉ. अरविंद चौहान ने कोई कार्रवाई नहीं की। 24 अप्रैल को शिकायत एल दू सीएमएचओ डॉ. केएल राठौर के पास पहुंची तो सीएमएचओ ने जवाब दिया कि, मामले में बीएमओ द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं होने पर 30 अप्रैल को शिकायत उच्च स्तर पर चली गई।

इस मामले में एक रोचक तथ्य यह था

कि, रमेशलाल प्रसूति सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत कर रहा था और बीएमओ डॉ. जैन जवाब लिख रहे थे कि, संबल योजना में भुगतान नहीं होने से निराकरण दर्ज किया जाए पर इससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुआ। शिकायत 20 सितंबर को जननी सुरक्षा राशि के भुगतान हेतु बजट आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान करने जाने का उल्लेख करते हुए शिकायत फेरसली बंद कर दी गई। मामला सीएम तक पहुंच गया तो ताबड़तोड़ 15 नवंबर को प्रसूति सहायता के एक हजार 400 रुपए महिला के खाते में डाले गए। इसके अलावा 4 दिसंबर को संबल योजना के तहत 11 हजार 600 रुपए भी खाते में डाले गए।

कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से लापता हुए तेन्दुए का किया रेस्क्यू

माही की गूंज, इन्दौर।

कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से लापता हुए तेन्दुए का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया तथा तेन्दुए को स्वास्थ्य परीक्षण एवं आगामी उपचार हेतु कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय को सौंपा गया है। वनमण्डलाधिकारी वनमंडल इंदौर द्वारा बताया गया कि, वन मण्डल बुरहानपुर से रेस्क्यू कर लाया गया तेन्दुआ एक दिसम्बर से कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से लापता हो गया था। वन विभाग के रेस्क्यू दल, क्षेत्रीय अमले तथा चिडियाघर के स्टाफ एनजीओ स्कूल द्वारा लगातार तेन्दुए की चिडियाघर एवं आसपास के क्षेत्र में खोज की जा रही थी। 6 दिसम्बर को सुबह सूचना प्राप्त होने पर खिरा डोंग द्वारा रेसीडेंसी एरिया, संवाद नगर क्षेत्र में रेस्क्यू दल द्वारा सर्च किया गया। पुनः रात्रि साढ़े 9 बजे रेडियो कॉलानी इन्दौर निवासी आशीष गुप्ता द्वारा तेन्दुए के देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई। रात्रि में रेस्क्यू दल रातामण्डल एवं वन कर्मचारियों द्वारा दोबारा एरिया सर्च किया गया। 7 दिसम्बर को प्रातः साढ़े 10 बजे तेन्दुए को नवरतन बाग क्षेत्र में स्थानीय रहवासियों द्वारा देखा गया। सूचना प्राप्त होने पर रातामण्डल रेस्क्यू दल, क्षेत्रीय अमले, वेटनरी डॉक्टर श्री उत्तम यादव, एनजीओ स्कूल से श्री ब्रजेश विक्रम को मौके पर पहुंचने हेतु सूचित किया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम, चिडियाघर एवं अन्य क्षेत्रीय अमले तथा एनजीओ स्कूल द्वारा मुख्य वनसंरक्षक इन्दौर वृत्त एचएस मोहनता के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन तथा वनमण्डलाधिकारी बुरहानपुर प्रदीप मिश्रा एवं वनमण्डलाधिकारी इन्दौर नरेन्द्र पण्डवा की उपस्थिति में तेन्दुए का सफलतापूर्वक फिजीकल रेस्क्यू किया गया तथा तेन्दुए को स्वास्थ्य परीक्षण एवं आगामी उपचार हेतु कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय को सौंपा गया।

सड़क पर पड़ी मिली संबल योजना

सूदखोरों के खिलाफ पुलिस एक्शन में

माही की गूंज, मंदसौर।

मह-नीमच राजमार्ग से सटे औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार को भावना रेस्टोरेंट के समीप सड़क पर संबल योजना के श्रमिक कार्ड पड़े हुए देख क्षेत्र के लोगों ने अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद सहायक श्रम अधिकारी प्रकाश डोडवे व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने सड़क पर पड़े श्रमिक कार्ड को एकत्र कर थैले में भरे और यहां से ले गए। कार्ड यहां पर किसने और क्यों फेंके या किसी तरह गिर गये, इस संबंध में अब तक

अधिकारियों को कुछ पता नहीं चल पाया है। श्रम अधिकारियों का कहना है कि, मौके से मिले संबल योजना के श्रमिक कार्डों में से कुछ कार्ड को देखा गया है जो ग्राम पंचायत में श्रम विभाग के अधिकारियों ने जनपद मंदसौर को सूचना दी है। अब मामले में आगामी कार्रवाई जनपद द्वारा की जाएगी। मंदसौर सहायक श्रम अधिकारी प्रकाश डोडवे ने बताया कि, औद्योगिक क्षेत्र में भावना रेस्टोरेंट के समीप सड़क पर संबल योजना के

श्रमिक कार्ड पड़े होने की सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर पहुंचे, सड़क पर क री ब 1 5 0 श्रमिक कार्ड बिखरे हुए पड़े थे। सभी कार्ड एकत्रित कर जल्दी में लिए। कुछ कार्ड चेक किए हैं, जिनमें ग्राम पंचायत गुर्जरबडिया के कार्ड होना पाए गए हैं। इस संबंध में सीईओ जनपद पंचायत मंदसौर को लिखा है। अब मामले में जांच जनपद मंदसौर द्वारा की जाएगी।



माही की गूंज, मंदसौर।

कर्म से दबे व परेशान व्यक्तियों को राहत देने के लिए पुलिस द्वारा जिले में सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा अभियान के संबंध में परचे वितरण व हेल्पडेस्क सहित सोशल मीडिया से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक महीने में सूदखोरों मामले में करीब 7 केस दर्ज किए हैं। शहर कोतवाली टीआई अमित सोनी ने बताया, बिना लाइसेंस के सूदखोर अधिक ब्याज लेकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अधिकतर सूदखोर जरूरत पड़ने पर कोरे चेक ले लेते हैं। बाद में मनचाही रकम भरकर इन्हें बैंक में लगाकर बाउंस करा लेते हैं। इसके बाद न्यायालय में केस फाइल कर



देते हैं। कई दबाव में आकर लोग गलत कदम उठा लेते हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा चौराहों पर चले जा डेस्क लगाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को भी बीपीएल चौराहा पर हेल्पडेस्क लगाई। 2 से 20 प्रतिशत तक करते हैं ब्याज की वसूली आमतौर पर इस कारोबार में 2 प्रतिशत तक ब्याज ठीक माना जाता है लेकिन

लाइसेंस के बिना सूदखोर 20 प्रतिशत तक ब्याज वसूलते हैं। जानकारी के अनुसार इन मामलों में अधिकांश विवाद को स्थिति बन जाती है।

इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत

सूदखोरों के खिलाफ सूचना देने के लिए पुलिस ने नंबर जारी किया है। संबंधित शिकायत के लिए 7049132031 या 07422- 220500 पर कॉल कर सकते हैं। पुलिस संबंधित पर जांच के बाद कार्रवाई करेगी। एस्पी सुनीलकुमार पांडेय ने बताया कि, पूरे जिले में सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। पिछले महीने में करीब 7 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जांच के बाद संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी।

विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण पर लगा प्रतिबंधित

माही की गूंज, रतलाम।

जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रतलाम शहर नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण आदि किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त आदेश एसडीएम रतलाम शहर, नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम के संयुक्त पत्र तथा निगमायुक्त के द्वारा प्रस्तुत पत्र के आधार पर जारी किया गया है।

सामग्री, डीजल, गैस सिलेंडर गोडाउन, किसी भी प्रकार के विस्फोटक एवं खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। उल्लेखनीय है कि, सिटी एसडीएम, सीएसपी तथा निगम आयुक्त द्वारा जिला दंडाधिकारी को प्रस्तुत पत्रों के आशय अनुसार रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत अवैधानिक रूप से आदि किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त आदेश एसडीएम रतलाम शहर, नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम के संयुक्त पत्र तथा निगमायुक्त के द्वारा प्रस्तुत पत्र के आधार पर जारी किया गया है।



जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत रहवासी क्षेत्रों में नगर तथा ग्राम निवेश विकास योजना के निवेश क्षेत्र में निर्दिष्ट एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के विपरीत वैज्ञानिक रूप से संचालित कबाड़ दुकान, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, तेल, आइडियल गैस सिलेंडर गोडाउन एवं अन्य खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण इत्यादि के संचालकों, भंडारणकर्ताओं को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी अपनी दुकान, गोडाउन भंडारण इत्यादि को तत्काल प्रभाव से रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर समुचित स्थान पर स्थानांतरित करें। इसके लिए समय अवधि आगामी 20 दिसंबर नियत की गई है। आदेश में कहा गया है कि, रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र की परिधि में कोई भी व्यक्ति, संचालक, भंडारणकर्ता द्वारा कबाड़ दुकानों, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित

संचालित की जाने वाली कबाड़ दुकानों, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, तेल, डीजल, गैस सिलेंडर गोडाउन एवं अन्य खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण इत्यादि से क्षेत्र के रहवासियों को बाधा, क्षति या मानव जीवन के स्वास्थ्य को खतरे का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या खतरे के साथ-साथ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। भविष्य में इस प्रकार की अगिन दुर्घटना नहीं हो, इसके दृष्टिगत उपरोक्त आदेश जारी किया गया है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का होगा आयोजन

माही की गूंज, शाजापुर।

अध्यक्ष विद्युत शिकायत निवारण फोरम इंदौर एवं उज्जैन ने बताया कि, विद्युत नियामक आयोग के निर्देशानुसार शाजापुर जिला अंतर्गत जिला मुख्यालय शाजापुर पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम शिविर का आयोजन 10 दिसंबर को श्रम कल्याण केन्द्र विद्युत नगर लालघाटी शाजापुर पर दोपहर साढ़े 12 बजे से डेढ़ बजे

तक किया जाएगा। सुनवाई का समय आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। अधीक्षण यंत्रि ने शाजापुर जिले के विद्युत उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि, वे अपने क्षेत्र के कार्यपालन यंत्रि अथवा सीधे अधीक्षण यंत्रि कार्यालय को 2 प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत कर उक्त शिविर का लाभ लेकर विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। भारतीय विद्युत

अधिनियम 2003 की धारा 126, 127, 135 से 140 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों पर उक्त फोरम द्वारा सामान्यतः सुनवाई नहीं की जायेगी। जिन उपभोक्ताओं द्वारा समयावधि पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन करवाया जाएगा, उनकी शिकायत का निराकरण फोरम की बैठक-शिविर में तत्काल किया जाएगा, अन्यथा उनके आवेदनों की सुनवाई नियमानुसार इन्दौर/उज्जैन मुख्यालय पर होगी।

बेखौफ बदमाशों ने अलग-अलग थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को दिया अंजाम

माही की गूंज, भानपुरा।

तीन अलग-अलग थाना क्षेत्र में बदमाशों ने सूने मकान को निशाना बनाया। बदमाश यहां से नकदी वे जेवर ले गए। वारदात भावगढ़, नारायणगढ़ व भैसोदामंडी चौकी क्षेत्र में हुई है। चौकी पुलिस ने बताया, मालीपुर निवासी इखलाक हुसैन ने शिकायत दर्ज कराई। बताया कि, सोमवार दोपहर से उनका पूरा परिवार शादी में झालावाड़ गया था। बदमाश पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल हुए

और आलमारी में रखी नकदी व जेवर ले गए। मंगलवार सुबह जब परिवार लौटा तो जानकारी हुई। इसी प्रकार गरोड़ा निवासी राजेंद्र पिता रतनलाल सोनी ने भावगढ़ थाने में शिकायत कर बताया कि, बदमाश घर में घुस कर सोने के टॉपस व चांदी के जेवर ले गए। नारायणगढ़ थाने में सानूखेड़ी निवासी जगदीश पिता देवीलाल बागरी ने शिकायत दर्ज कराई कि, बदमाश उनकी बेटी की शादी के लिए बनवाई गई ज्वेलरी ले गए। तीनों मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

राजनीतिक दलों व संगठनों ने मनाया डॉ. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस



आप पार्टी ने मनाया महापरिनिर्वाण दिवस।

कांग्रेस ने मनाया महापरिनिर्वाण दिवस।

रक्तदान कर मनाया महापरिनिर्वाण दिवस।

भी म र । व अं बे ड कर क । पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब का श्रद्धांजलि अर्पित की

माही की गूंज, शाजापुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहा महापुरा पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर माल्यार्पण करते हुए शोककुल रूप से नमन किया स कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनिल कदम, राजेश गुप्ता, मुकेश गुजराती, विनोद जाटव, वकील खान, राजेश सिसनोरिया व पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित थे।

रक्तदान कर मनाया महापरिनिर्वाण दिवस अखिल भारतीय बलाई महासभा नई दिल्ली के राष्ट्रीय युवा संरक्षक महेंद्र सिंह सोलंकी (सांसद) एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक बाबूलाल बछेर साहब (पूर्व किया स कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनिल कदम, राजेश गुप्ता, मुकेश गुजराती, विनोद जाटव, वकील खान, राजेश सिसनोरिया व पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित थे।

दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित कर बाबा साहब को रक्तदान कर श्रद्धांजलि दी गई। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक प्रभारी, आरएमओ डॉ. मनोज पंचोली, टेक्नीशियन प्रशांत वैध, अरविंद बंसोड़, बलाई महासभा के पदाधिकारी, युवा प्रदेश प्रवक्ता अनिल मालवीय, सम्भागा महासचिव अरुण गोयल, संभागा प्रभारी विजय मकवाना, जिला अध्यक्ष नारायण सिंह मालवीय, जिला सलाहकार रामचंद्र धानुक, जिला उपाध्यक्ष अर्पित परिहार,

आईटी सेल संभागा प्रभारी यस पिंकू मालवीय, आईटी, सेल जिला अध्यक्ष राजा मेवाडा, जिला सचिव धर्मेन्द्र मालवीय, नरेंद्र मालवीय, माखन परिहार, राकेश मेवाडा, सावन मालवीय, डॉ. विजेन्द्र कटारिया, डॉ. राजेश मांगरोलिया, तहसील उपाध्यक्ष विजय मेवाडा, राजकुमार सौराष्ट्रीय, जितेंद्र मालवीय, सिंघी भैया, मीडिया प्रभारी राजेश सिसनोरिया आदि उपस्थित थे।

कांग्रेस ने मनाया महापरिनिर्वाण दिवस पूर्व कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर

और उपस्थित अतिथियों ने बाबा साहब के जीवन और संविधान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव गजेंद्र सिंह सिसोदिया, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजय पाल सिंह जादौन, कार्यकारी जिलाध्यक्ष केदार सिंह मेवाडा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंगल सिंह खट्टर, एडवोकेट शैलेंद्र सक्सेना, कयूम रावन, महिपाल सिंह बेस, जगदीश मकवाना, विधानसभा कांग्रेस प्रवक्ता अजय मोरटे, पूर्व पार्षद उदय सिंह सिसोदिया, विधानसभा कांग्रेस प्रवक्ता अजय मोरटे, पिप्यूष शर्मा, विशाल शर्मा, जेपी मीणा, गोलू चंदेल, रहलु बिलवान, रईस पटान, सिद्धीक पटान सहित कई कार्यकर्ता एवं आमजन मौजूद थे।

एसपी की मुहिम के बाद भी क्षेत्र में धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब

आबकारी की मौन स्वीकृति से डायरी से जगह-जगह बिक रही अवैध शराब

माही की गूंज, रतला।

शराब जिस पर लगाए गए टैक्स से सरकारों को मोटा पैसा टैक्स के रूप में मिलता है। अगर शराब पर लगे टैक्स की बात करें तो यह राज्यों की कमाई का सबसे अहम जरिया है। यह बात कोरोना काल में सबके सामने जब आई थी तब शराब की दुकानें कोरोना संक्रमण में बंद थी और वापस सरकार के आदेश के बाद खोली गई। तब जनता के सामने खबरों के जरिए जानकारी सामने आई थी कि, सरकार को सबसे अधिक टैक्स शराब से ही मिलता है। इसलिए बहुत सारे नियमों को ताक में रखकर काम किया जाता है। आबकारी विभाग के वैसे तो बहुत सारे नियम हैं कुछ शराब टेकेदार पालन करते हैं और कोई नहीं करता है। अगर आज हम एक ऐसे नियम को जानने की कोशिश करेंगे जिससे सरकार को तो राजस्व का बहुत बड़ा घाट है और अवैध शराब बेचने का सबसे बड़ा अवैध सिस्टम है। जो डायरियों के माध्यम से शराब की दुकानों के टेकेदारों द्वारा किया जाता है जो वषों से निरंतर जारी है। बस बंद उस समय होता है जब पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ कुछ बड़ा अभियान चलता है तब थोड़े बहुत दिनों के बाद स्थिति सामान्य होने पर फिर से यह अवैध शराब के डायरियों खेल चालू हो जाता है।

कई वर्षों से जारी है यह खेल

ऐसा नहीं कि गांवों में डायरियों के माध्यम से अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं होती, जब भी अवैध शराब को लेकर प्रदेश स्तर व जिला स्तर पर अभियान चलता है तब क्षेत्र के टेकेदारों और गांव में मयखाने खोलने वालों को सूचना दे दी जाती है, वह अपने किसी

व्यक्ति या खुद पर कम मात्रा या कुछ शराब के क्वार्टर या एक दो शराब की पेट्टी का केस दर्ज करवाकर छुटने के बाद फिर से यह अवैध शराब का धंधा करने लग जाते हैं। जबकि जमीन स्तर पर जाकर देखा जाए तो उक्त व्यक्ति पर अवैध शराब की कार्रवाई के बाद उसका यह अवैध शराब का धंधा बंद नहीं होता उसकी जगह और कोई केन्द्र है। डायरियों के माध्यम से क्षेत्र के शराब टेकेदार से ली गई शराब के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का धंधा करने वाले एजेंट सस्ते दामों में अवैध शराब बेचते हैं जो नियमों के विरुद्ध तो है और शराब पीनेवालों के साथ स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी होता है।

वैसे तो यह अवैध शराब बेचने का तरीका वषों पुराना है लेकिन पिछले करीबन 10 वषों से शराब के टेकेदारों द्वारा अपनी एक नियमों की परिपाटी बना दी गई है। जिसके अनुसार इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शराब बिकवाने के लिए शराब की दुकानों से डायरियां बनाकर दे रखी हैं, जिसका इन्होंने ने खुद का शुल्क निर्धारित भी गांव और शराब के धंधे से मीली अवैध कमाई के लिए कर रखा है। जहां जितने अधिक शराब प्रेमी (पीने वाले) लोग उसके हिसाब से शुल्क कहीं पर 5 हजार तो कई पर 10 हजार रूपए लेकर डायरियों को बनाकर गांव में अवैध शराब बेची जा रही है।

सूत्रों अनुसार इन डायरियों में टेकेदार से किस एजेंट और किसी गांव के एजेंट ने कितनी शराब टेकेदार से खरीदी गई और बेची गई उसका लेखा-जोखा रखा जाता है। जिससे शराब टेकेदारों के एरिया सेल्समैन को यह जानकारी प्राप्त हो सके कि, उक्त डायरियों के माध्यम से टेकेदार की गांव में अवैध शराब बेचने वालों ने कितनी

शराब बेची गई और इसी की आड़ लेकर गांव के अवैध शराब माफिया ब्लैक की सस्ते दामों में शराब खरीदकर यह अवैध धंधा करते हैं। आबकारी विभाग की मिलीभगत का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है कि, यह डायरियों का खेले वषों से निरंतर जारी है।

पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने जब से जिले की कमान संभाली है तब से कुछ हदों तक अवैध शराब के माफिया में खौफ है। इसी कारण यह डायरियों का खेले गुपचुप तरीके से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि, थाने की पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होती है जानकारी सभी को होती है थाने क्षेत्र के बिट प्रभारियों को सब जानकारी रहती है। सूत्रों द्वारा बताया जाता है कि, मासिक नगद भेट राशि तय होती है जो गांव में डायरियों से शराब बेचने वाले एजेंटों या टेकेदार द्वारा दी जाती है और यह नगद भेट राशि थाना प्रभारी तक पहुंचती है इसलिए छोट्टीमोटी कार्रवाई कर सरकारी आकड़ों की खानापूर्ति की जाती है। डायरियों से शराब बेचने का गोरखधंधा, अवैध कमाई का सबसे बड़ा धंधा है। डायरियों के माध्यम से बनाए गए एजेंटों द्वारा अवैध शराब बेचने का क्रम वर्तमान में जारी है।

कालखेड़ा थानातर्गत जो भी ग्रामीण क्षेत्र के टेकेदारों द्वारा डायरी देकर नियुक्त किए गए एजेंट को रोजाना शराब टेकेदार का चार पहिया वाहनों द्वारा से गांव-गांव जाकर शराब सप्लाई की जाती है और यह सब खुलेआम होता है। पुर्व में नामली क्षेत्र में अवैध शराब से हुई मौतों के मामले में कठोर कार्रवाई हुई थी। तब अवैध शराब माफिया भूमिगत हो गए थे लेकिन जब से सरकार ने लोकडउन के बाद टेकेदारों को शराब के टेके नियमों के अनुसार आवंटित किए हैं तब से यहा डायरियों का चलन चल गया है। डायरियों के माध्यम से टेकेदारों द्वारा ग्रामीण

क्षेत्रों में गुपचुप तरीके से यह अवैध शराब का धंधा जारी है। पुर्व में जिले के जावरा के सोहनगढ़ व नामली थानातर्गत हुए अवैध शराब कांड को देखकर अवैध शराब का सेवन करने वाले लोगों को भी यह ध्यान देना जरूरी है कि, अवैध शराब स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा घातक साबित होती है, इससे देशभर में कितने ही लोग मौत के आगेश में चले जाते हैं जिसके देशभर में कई उदाहरण हैं। मगर मोटे-मोटे एक अनुमान के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दामों में कोई शराब पीता है तो वह है मजदूर गरीब वर्ग, जो किसी न किसी रूप से किस कारण से शराब का सेवन करता है वे ही यह अवैध शराब पीकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने परिवार की परेशानियों का सबब बन रहे हैं। इस मामले में सबसे बड़ा जिम्मेदार आबकारी विभाग है। इनकी निरंतर चेकिंग प्रणाली तय नहीं है विभागीय खानापूर्ति कर ली जाती है इसलिए इस अवैध शराब डायरियों के माध्यम से बेचे जाने की परंपरा बनती जा रही है।

जिले में पिछले दिनों शराब के मामलों में हुए विवादों को अवैध शराब की बिन्नी के मामले से आका जा रहा है। जिले के पुलिस कप्तान गुजरात और दिल्ली तक अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं तो निश्चित है कि इस डायरियों से शराब बेचने के मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। मगर जिम्मेदारी तो आबकारी विभाग है कि, वह इस डायरियों के सिस्टम की परिपाटी को खत्म कैसे करते हैं। यह सवाल बना हुआ है। वही इस पूरे मामले को लेकर आबकारी अधिकारी विभागा अशोक दवे का कहना है कि, डायरी पर शराब बेचना अवैध है, इसको लेकर आए दिन कार्रवाई की जा रही है, और अगर ऐसी सूचना मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों को किया सम्मानित



जिला सहकारी बैंक मर्यादित शाखा थांदला बैंक परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक बैंक के खाता धारक मूलचंद जैन, मुरलीधर नागर, मुरलीधर वर्मा, अनवर खान, दिनेश गुप्ता एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कृषक सदस्यों को शाल व श्रीपत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम शाखा प्रबंधक पारिग उदपी ने अपने उद्बोधन में कहा कि, जिले के वरिष्ठ अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार शाखा में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया, जिसमें नगर के पांच वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया सम्मानित करने का बैंक को सौभाग्य प्राप्त हुआ, बैंक समस्त खाता धारकों का उत्कृष्ट आभार प्रकट करती है कार्यक्रम में बैंक कर्मी व खाताधारक उपस्थित थे।

पेंशनरो ने दिया ज्ञापन

माही की गूंज, थांदला। पेंशन एंशोसिएशन थांदला इकाई द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अ नू वि भा गी य अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौपा, ज्ञापन के मुख्य पांच बिंदु 32 एव 27 माह से लंबित एरियर प्रदान किया जाए। वर्तमान में पेंशनरों को 8 प्रतिशत डीए यथा स्थिति प्रदान करें, प्रतिमाह एक हजार चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाए, 80 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष आयु होने पर दो प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि प्रदान की जाए तथा पेंशन हेतु बोर्ड का गठन किया जाए। उक्त मांगों का वाचन एंशोसिएशन के अध्यक्ष जगमोहन सिंह राठी ने किया और संघ के पदाधिकारी डि के उपाध्यय गणपत दास बैरागी के आचार्य अमृतलाल चौहान एंशोसिएशन के सदस्यों की उपस्थिति में एड एम थाना को ज्ञापन प्रेषित किया।

सम्पर्क एप पर नही दी जानकारी, 14 सुपर वाईजर का कटा एक दिन का वेतन

माही की गूंज, बड़वानी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी आरएस गुण्ड्या ने सम्पर्क एप पर भ्रमण की जानकारी न देने पर 14 सुपर वाईजर की एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। साथ ही पुनः समस्त सुपर वाईजरों को चेताया है कि, यदि शासन के निर्देशानुसार भ्रमण की जानकारी सम्पर्क एप पर दर्ज नहीं की जायेगी, तो दोषी सुपर वाईजरों को एक वेतनवृद्धि रोकी जायेगी।

इन सुपर वाईजरों का कटा है वेतन

सम्पर्क एप पर 8 दिसम्बर को अपने भ्रमण की जानकारी दर्ज न करने पर ठीकरी की सुपर वाईजर भागा ब्राह्मणे, निवाली की सुपर वाईजर राधा भावसार, पाटी की सुपर वाईजर बंसती भिडे एवं सुमन चैहान, पानसेमल की सुपर वाईजर भगवती वास्करले, ऋतु पंवार, मधुबाला चतुर्वेदी, चन्द्रकान्ता जैप, बड़वानी की सुपर वाईजर संख्या सोलंकी, राजपुर की सुपर वाईजर उष्मा सोलंकी, सेंधवा की सुपर वाईजर संख्या अलोने, काला की सुपर वाईजर लीलावती शिन्दे, गीता डावर, अर्चना सोलंकी का एक दिन का वेतन काटा गया है।

नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे 7 हजार प्रकरण- जिला न्यायाधीश श्री गर्ग



माही की गूंज, बड़वानी।

नेशनल लोक अदालत में पक्षकार अपने प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर करवा सकता है। साथ ही कोर्ट प्रकरण से होने वाले मानसिक एवं आर्थिक दबाव को भी दूर कर सकता है। इसलिए समय-समय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जिससे पक्षकारों के मध्य सुलह एवं समझौता कर निराकरण करवाया जा सके। अतः पक्षकार नेशनल लोक अदालत में आकर सुलह एवं समझौते के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण कर लोक अदालत में दी जाने वाली छूटों का अधिक से अधिक लाभ उठाए।

उक्त बातें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार गर्ग ने बुधवार को जिला न्यायालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि, 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाली

नेशनल लोक अदालत में 6 हजार 935 प्रकरण रखे जायेंगे। जिसमें 5 हजार 21 प्रिलिटिगेशन के प्रकरण तथा जनउपयोगी लोक सेवाओं के प्रिलिटिगेशन के 20 एवं अन्य प्रकरणों के एक हजार 894 प्रकरण रखे जायेंगे। इस हेतु 15 खपडपीटों का गठन किया गया है। वार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार गर्ग एवं विशेष न्यायाधीश सुश्री नीना आशापुरे ने बताया कि, 11 दिसम्बर को आयोजित लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जायेगी।

सम्पत्ति कर एवं जलकर में भी दी जाएगी छूट

वार्ता के दौरान श्री गर्ग एवं सुश्री आशापुरे ने बताया कि, राज्य शासन द्वारा सम्पत्ति कर/अधिभार, एवं जलकर/जलकर अधिभार में भी 11 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में छूट दी जाएगी। जनउपयोगी प्रकरणों में भी होगा निराकरण

वार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आरके सोनी ने बताया कि, नेशनल लोक अदालत में जनउपयोगी लोक सेवाओं के तहत 20 प्रकरण रखे जायेंगे। उन्होंने बताया कि, जनउपयोगी लोक सेवा के तहत बिजली, जल, सड़क, दूरभाष, पोस्ट, प्रकाश, बीमा, परिवहन, स्वच्छता से संबंधित शिकायत की जा सकती है। जनउपयोगी लोक सेवाओं के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत सादे कागज पर आवेदन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी में कर सकता है। उन्होंने बताया कि, विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निराकरण कराने पर पक्षकार को न तो कोर्ट भेस देना होता है, और न ही वकील की फीस देना पड़ती है। आवेदन के पश्चात् विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधित विभाग से पक्षकार को शिकायत का निराकरण करवाते है।

भारत में मानव संसाधन विकास की स्थिति पर विशेष व्याख्यान का हुआ आयोजन

माही की गूंज, बड़वानी।

अकादमिक उत्कृष्टता एवं आत्म निर्भर मध्यप्रदेश कार्यक्रम अन्तर्गत प्राचार्य डॉ. पुरुषोत्तम गौतम के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में शासकीय कन्या महाविद्यालय बड़वानी के अर्थशास्त्र विभाग एवं स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में भारत में मानव संसाधन विकास की स्थिति पर विशेष व्याख्यान का ऑनलाईन आयोजन किया गया। विशेष व्याख्यान की मुख्य वक्ता डॉ. आशा साखी गुप्ता, प्राध्यापक शशीना शासकीय ज्ञाताकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी हैं। व्याख्यान के पूर्व डॉ. कविता भदौरिया, अर्थशास्त्र विभाग द्वारा डॉ. आशा साखी गुप्ता का परिचय दिया गया तथा स्वागत किया गया। डॉ. आशा साखी गुप्ता ने ऑनलाईन व्याख्यान देते हुए कहा कि, भारत में मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत में जनसंख्या की अधिकता है तथा



मानव संसाधन विकास की स्थिति को देखने के लिए जनसंख्या की गुणवत्ता उसकी स्वास्थ्य तथा जागरूकता की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि, आर्थिक विकास मुख्य रूप से मानव संसाधन विकास पर निर्भर करता है। मानवीय पूंजी श्रम शक्ति व उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है। उसका विकास कर के ही आर्थिक विकास किया जा सकता है। अतः मानवीय पूंजी के विकास के लिए शिक्षा के साथ-साथ उसकी कुशलता का विकास किया जाना भी आवश्यक है। आर्थिक विकास को मापने का महत्वपूर्ण यंत्र है कि, क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही? क्या आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो रही है? इन सबका माप ही मानव विकास सूचकांक है। जिसे बनाने का श्रेय मेहबूब-उल-हक को है। जिसमें उन्होंने 3 आधार लिए हैं संभावित आय, शैक्षिक प्रारियाँ और जीवन स्तर है।

इन तीनों आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया गया। इस आधार पर विभिन्न देशों की मानव विकास की स्थिति को देखा जाता है। इस संदर्भ में भारत की बात करें तो भारत की स्थिति 189 देशों में 131

स्टेडिंग कमेटी की बैठक में कलेक्टर ने दी त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी

माही की गूंज, बड़वानी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराजसिंह वर्मा ने बुधवार को आयोजित स्टेडिंग कमेटी की बैठक में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के तहत सम्पादित होने वाले निर्वाचन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने पंचायत निर्वाचन के लिए निर्धारित आदर्श आचरण संहिता, मतदान केन्द्रों की संख्या, मतदाताओं की संख्या की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र से तथा जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए मतदाता अपने मतों का प्रयोग ईब्लैक में करेंगे। बैठक में बताया गया कि, नाम निर्देशन प्राप्ति के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि जमा

करनी होगी, जिसमें जिला पंचायत सदस्य को 8 हजार, जनपद पंचायत सदस्य को 4 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य को 2 हजार, पंच को 400 जमा करने होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में उपरोक्त निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा पंच पद के लिए निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र एवं अन्य पदों के लिए निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन प्रस्तुति के समय अभ्यर्थी के साथ अधिकतम दो व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन प्रयोजन के लिए वाहनों की संख्या 2 तक सीमित की गई है। बैठक में बताया गया कि, बड़वानी जिले की जनपद पंचायतों में तीन चरणों में निर्वाचन प्रक्रिया संपादित होगी। पहले मतदाता अपने मतों का प्रयोग ईब्लैक में करण में राजपुर एवं ठीकरी में, द्वितीय चरण में बड़वानी, निवाली, पानसेमल तथा तृतीय चरण में पाटी एवं सेंधवा विकासखण्ड में चुनाव सम्पन्न कराया

जायेगा। प्रथम चरण में 4 जिला पंचायत सदस्य, 39 जनपद पंचायत सदस्य, 122 सरपंच, 2 हजार 83 पंच पदों पर निर्वाचन करवाया जायेगा। द्वितीय चरण में 4 जिला पंचायत सदस्य, 45 जनपद पंचायत सदस्य, 128 सरपंच, 2 हजार 316 पंच पदों पर निर्वाचन करवाया जाएगा। तृतीय चरण में 6 जिला पंचायत सदस्य, 45 जनपद पंचायत सदस्य, 159 सरपंच, 2 हजार 685 पंच पदों पर निर्वाचन करवाया जाएगा। उक्त बैठक में राष्ट्रीय मान्यता



प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के अलावा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराजसिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, जिला पंचायत सीओ ऋतुराजसिंह, अपर कलेक्टर

श्रीमती रेखा राठौर, डॉ. शालिनी श्रीवास्तव सहित निर्वाचन के मद्देनजर नियुक्त किए गए समस्त रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, नोडल अधिकारी, मास्टर ट्रेनर उपस्थित थे।

रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

माही की गूंज, बड़वानी। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान नाम निर्देशन फार्म लेने हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा सब सेंटर के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को कलेक्टर सभागृह बड़वानी में बुधवार को कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा, जिला पंचायत सीईओ ऋतुराजसिंह, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास निलेशसिंह रघुवंशी ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों ने नाम निर्देशन फार्म एवं उसके साथ लिये जाने वाले शपथ पत्र, शपथ पत्र सार, घोषणा पत्र, घोषणा पत्र सार, पंचायत एवं विद्युत देयको का नो-ड्यूज प्रमाण पत्र, जमानत राशि, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी एवं प्रतीक चिन्हों का आवंटन के बारे में विस्तार से बताया। ज्ञातव्य है कि, जिला पंचायत सदस्य का नाम निर्देशन फार्म कलेक्टर कार्यालय में तथा जनपद पंचायत सदस्य का नाम निर्देशन फार्म संबंधित जनपद पंचायत मुख्यालय पर व सरपंच-पंच का नाम निर्देशन फार्म जनपदों में निर्धारित सब सेंटर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्धारित तिथियों में घोषित अधिपूचना अनुसार लिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को अधिपूचना के प्रकाशन के साथ नाम निर्देशन फार्म की प्रक्रिया, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थियों के नाम वापसी की प्रक्रिया, शपथ पत्र का प्रारूप, अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह का आवंटन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया।

मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं झोलाछाप डॉक्टर, आंख बंद कर बैठा स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से फल-फूल रहे झोलाछाप डॉक्टर, लंबे समय से जिले में नहीं हुई कार्रवाई

माही की गूँज, अलीराजपुर।
जिले में लंबे समय से झोलाछाप डॉक्टरों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। जिले में इन डॉक्टरों में अपनी तादात इस कदर बढ़ गई है कि, सरकारी हॉस्पिटल से ज्यादा झोलाछाप डॉक्टरों के पास मरीज पहुंच रहे हैं। ऐसे में मरीजों की जान से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है और और स्वास्थ्य विभाग के अप्सर

चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आदिवासी बहुल जिले में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री धारी बंगाली चिकित्सक अपना क्लिनिक खोल कर ग्रामीणों का उपचार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में चल रहे बंगाली चिकित्सकों के ठिकानों पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा अभी तक सिर्फदिखावे की कार्रवाई ही की जा रही है।

आलम यह है कि, जिला मुख्यालय पर ही करीब 10-12 बंगाली चिकित्सक अपना क्लिनिक खोलकर ग्रामीणों का उपचार खुलेआम कर रहे हैं। नगर के सोरवा नाका, कुम्हार वाड़ा, वीटी रोड, चांदपुर रोड पर बंगाली चिकित्सकों के क्लिनिक खुले हुए हैं किंतु इनके खिलाफकई दिनों से न तो स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की और न ही प्रशासन ने आकस्मिक जांच की। प्रशासन की इस अनदेखी और लापरवाही का फयदा

उठाते हुए बंगाली चिकित्सक बेखौफ होकर अपना क्लिनिक चला रहे हैं। जब जिला मुख्यालय पर ही बंगाली चिकित्सकों के क्लिनिक खुले हुए हैं तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि, ग्रामीण अंचल में बड़ी संख्या में बंगाली चिकित्सक कार्यरत होंगे। जिला मुख्यालय जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला होने के बावजूद इनके क्लिनिक खुलेआम चल रहे।

बीच बाजार में किया कोविड-19 टीकाकरण

माही की गूँज, अलीराजपुर।
कलेक्टर मनोज पुष्प के दिशा निर्देशानुसार में जिले में रोक-टोकों अभियान संचालित किया जा रहा है। आमजन को टीके की दोनों डोज लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एसडीएम चंद्रशेखर आजाद नगर सुश्री किरण आंजना एवं बीएमओ श्रीमती चैहान के मार्गदर्शन में राजस्व पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग अमला आमजन को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसी दौरान टीके की दूसरी डोज नहीं लगवाने वालों को प्रोत्साहित करते हुए टीके के महत्व की जानकारी दीए जिसके बाद कई लोगों ने बाजार में टीकाकरण कराया। इस अवसर पर कोविड-19 से बचाव हेतु टीकाकरण के महत्व की जानकारी देकर सभी को कोरोना से बचाव हेतु उपाय अपनाने के लिए जागरूक किया गया।



श्री माहेश्वरी के भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाने पर हर्ष

माही की गूँज, आम्बुआ।
भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता तथा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रहे विकास माहेश्वरी जिन्होंने हाल ही में संपन्न जोबट विधानसभा उपचुनाव में विशेष भूमिका निर्वहन कर पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। विकास माहेश्वरी को उनके कार्य का उचित उपहार स्वरूप भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार द्वारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का विशेष अनुशंसा तथा प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्षों की सहमति से अलीराजपुर जिले के भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाने पर संपूर्ण जिले के साथ-साथ आम्बुआ में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। विकास माहेश्वरी को भाजपा के जिला अध्यक्ष वकीलसिंह ठकराल, जोबट विधायक श्रीमती सुलोचना रावत, पूर्व विधायक माधौसिंह डावर, नागर सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष किशोर शाह, हीरालाल शर्मा, राकेश अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष जवान सिंह रावत, भरत महेश्वरी, अनिल खंडेलवाल, यश राठौड़, हुजैफ बोहरा, देवेन्द्र महलोद, नवाब खां, शुभम क्षीरसागर आदि अनेक कार्यकर्ताओं ने बधाई देते हुए वरिष्ठ नेतृत्व का आभार माना है।

अपर कलेक्टर ने चैक पोस्ट का किया निरीक्षण



माही की गूँज, अलीराजपुर।
कलेक्टर मनोज पुष्प के दिशा निर्देश पर जिले के प्रवेश सीमा क्षेत्रों पर स्थित चैक पोस्टों पर कोरोना जांच एवं कोविड-19 से बचाव हेतु विशेष सावधानियों हेतु जांच एवं जागरूकता हेतु रोक-टोकों अभियान प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। जिसके तहत चांदपुर चैक पोस्ट पर अपर कलेक्टर सीएल चनाप ने पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चैक पोस्ट पर तैनात मैदानी अमले को निर्देश दिए कि, प्रत्येक वाहन चालक, परिचालक से टीके की दोनों डोज लगाने कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य रूप से पालन करने के साथ-साथ यात्रियों को भी उक्त के संबंध में जागरूक करने के विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने यात्री बसों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से आने-जाने वालों की स्क्रीनिंग एवं जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए। इस दौरान चांदपुर चैक पोस्ट पर दो वाहनों के



चालक-परिचालक पर मास्क नहीं पहनने पर चालानी कार्रवाई की गई। इस अवसर पर बीएमओ कट्टीवाड़ा डॉ. जयदीप जमीदार सहित अन्य स्टॉफ सदस्य उपस्थित थे।
जिले की सीमा पर आने-जाने वालों की हो रही स्क्रीनिंग
गुजरात राज्य की सीमा से जिले में प्रवेश स्थानों पर चैक पोस्टों पर विशेष कोविड-19 स्क्रीनिंग कैम्प स्थापित किए गए हैं। इस कैम्पों में राजस्व पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का अमला प्रत्येक आने-जाने वाले की जानकारी लेकर एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और टीकाकरण की जानकारी ले रहा है। साथ ही सभी को कोरोना से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियों को अपनाने तथा टीकाकरण के दोनों डोज लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ प्रत्येक आने-जाने वाले की स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली जा रही है।

विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में दो छात्राएं रही प्रथम



माही की गूँज, आम्बुआ।
विश्व दिव्यांग दिवस पर जिला मुख्यालय पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में आम्बुआ हाई सेकेंडरी स्कूल की दिव्यांग दो छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। गूँज प्रतिनिधि को संस्था प्राचार्य नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि, विश्व दिव्यांग दिवस पर अलीराजपुर मुख्यालय पर दिव्यांगों की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें आम्बुआ हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने भी भाग लिया। आम्बुआ की दो छात्राएं क्रमशः कु. संगीता पिता मोहनसिंह कक्षा 11वीं तथा कु. अबला पीता नाहलिया कक्षा 12वीं ने 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शाला की ओर से प्राचार्य तथा स्टाफ ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

जिले के सबसे बड़े विकास खण्ड में पहले चरण में होंगे चुनाव

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: पंच-सरपंच मतपत्र मतों जिप-जनपद सदस्य ईवीएम से चुने जाएंगे

माही की गूँज, पेटलावद।
चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही स्थानीय स्तर के चुनावों को सरगमीं तेज हो गई है, पूरे प्रदेश में तीन चरणों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, झाबुआ जिले के अलग-अलग विकास खण्ड में तीनों चरणों में चुनाव होना है। जिले के सबसे बड़े विकास खण्ड पेटलावद में पहले चरण में चुनाव सम्पन्न होंगे, जिले की राजनीति में पेटलावद विकास खण्ड का खासा वर्चस्व है, ऐसे में यहां के परिणाम अन्य विकास खण्ड के परिणाम को भी प्रभावित करेंगे ये तय

है, चुनाव को देखते हुए, पंच से लेकर जिला पंचायत के दावेदारों ने मोर्चा संभाल लिया है, आकड़ों में जानने की कोशिश करते हैं की किस प्रकार से पहले चरण में मतदाता कितने पदों पर प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे।
विकास खण्ड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 77
77 सरपंच के लिए होंगे चुनाव, 25 जनपद पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होंगे, 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव, 1298 पंचों के लिए होगा चुनाव, कुल मतदाता की संख्या: 1 लाख

64 हजार 190, पुरुष मतदाता की संख्या: 80 हजार 96, महिला मतदाता की संख्या: 83 हजार 487, अन्य मतदाता: 9, कुल मतदान केंद्रों की संख्या: 292।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान तय दिनों कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 13 दिसंबर से शुरू होकर 23 फरवरी 2022 तक चलेगी। जिले के पेटलावद विकासखण्ड कि बात की जाए तो यह विकासखण्ड जिले का सबसे बड़ा विकासखण्ड है, यहां कुल 77 ग्राम पंचायतों के लिए नए सरपंच व पंच का चुनाव होना है। जिले में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। यह चुनाव मार्च 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के कारणों से चुनाव टलते जा रहे थे।
नए कामों पर लगी रोक
आचार संहिता लागू होते ही अब पंचायतों में नए कामों पर रोक लग गई है। हालांकि आचार संहिता लगने के पूर्व से चल रहे निर्माण कार्यों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। वहीं आचार संहिता में नए काम स्वीकृत नहीं होंगे। न ही किसी तरह के राजनैतिक कार्यक्रम, शिलान्यास, लोकार्पण आदि कार्य हो सकेंगे। इन सभी कार्यों पर फिलहाल 16 फरवरी तक रोक लग गई है।
प्रशासन ने शुरू की तैयारियां-
पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपने

स्तर पर तैयारिया शुरू कर दी है। मतदाता सूची के प्रशासन के अलावा शासन के द्वारा जो पुराने परिसीमन के आधार पर चुनाव होने है उस प्रक्रिया को लेकर भी प्रशासन के द्वारा तैयारियां कर ली गई है। जारी कार्यक्रम के अनुसार पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के दौरान ही पेटलावद विकासखण्ड में ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आगामी 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक फर्म भरे जाएंगे। फर्म की समीक्षा 23 दिसंबर को होगी। 23 को ही नाम वापसी और उसके बाद ही चुनाव चिह्न का आवंटन हो जाएगा। इसके बाद 6 जनवरी 2022 को सरपंच पदों के लिए मतदान होंगे।
पूरे पेटलावद विकासखण्ड में कुल 292 मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न होगा। पेटलावद विकासखण्ड में शांतिपूर्ण मतदान और चुनाव संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन से पेटलावद एसडीएम और जप सीईओ को सहायक रिटनिंग अधिकारी की जवाबदारी सौंपी गई है। इनके साथ ही तहसीलदार पंच और सरपंच के रिटनिंग अधिकारी के रूप में कार्य देखेंगे। पूरे विकासखण्ड में कुल 11 अलग-अलग सहायक रिटनिंग अधिकारी बनाए गए हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में उम्मीदवारों के आवेदन लेने के बाद तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जनपद के नामांकन एसडीएम कार्यालय में जमा होंगे वहीं ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने पर नियत समयवधि पर एक कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।

यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु प्लान तैयार करने के लिए निर्देश

माही की गूँज, अलीराजपुर।
कलेक्टर मनोज पुष्प की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति अलीराजपुर की बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री पुष्प ने निर्देश दिए कि, जिले के ऐसे मार्ग व स्थानों का चिह्नकन किया जाए जहां वाहन दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। उन्होंने निर्देश दिए छोटे-बड़े वाहनों की दुर्घटना, स्थल, रोड एवं दुर्घटनाएं अधिक होने के समय तथा संबंधित क्षेत्र में दुर्घटना से घायल अथवा मृत्यु संबंधित प्रकरणों की एनालिसिस रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें ताकि संबंधित क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जाकर दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अलीराजपुर नगर में अलग-अलग स्थानों से आने वाले तीन एवं चार पहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था हेतु स्टेट नाधारित किए जाने हेतु स्थल का चिह्नकन करने के निर्देश दिए तथा आमजन को



कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए चालकों को यातायात नियमों संबंधित आवश्यक समझावश दी जाए। ओवर लोड वाहनों पर कार्रवाई की जाए। ग्रामीण परिवहन व्यवस्था में वृद्धि के साथ-साथ उक्त व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने हेतु विशेष प्रयास किए जाकर अधिक से अधिक परमीट प्रदान करते हुए वाहन संचालकों को ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने के प्रयासों में सहभागी बनने हेतु आवश्यक समझावश प्रदान करने के निर्देश दिए। जिले में सड़क किनारे पेड़ों एवं दुर्घटना क्षेत्रों में सूचना बोर्ड और ट्री रेडियम लगाए जाने के निर्देश दिए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी वीरेन्द्रसिंह यादव, यातायात प्रभारी सुभाष सतपाडिया, सीएमओ अलीराजपुर अमरदास सेनानी, एमपीआरडीसी प्रबंधक पादीदार, सीएमएचओ डॉ. प्रकाश ढोके, सिविल सजन डॉ. केसी गुप्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारियों उपस्थित थे।

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया धारा 144 के तहत

माही की गूँज, अलीराजपुर।
कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने मध्यप्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के चुनाव एवं आगामी दिनों में त्योहारों के मद्देनजर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाइक, ट्विटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश

